सोमवार,
४ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, ४ अगस्त, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

[प्रश्न नहीं पूछे गये: भाग १ प्रकाशित नहीं किया गया]

८—१५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

चैम्पियन रीफ्स खान में दुर्घटना ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य श्री विट्ठल राव ने श्रम मन्त्री को पूर्व सूचना दी है ?

श्री बिट्टल राव (खम्मम) : श्रीमान्, मैंने भेज दी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री यहां नहीं हैं । उन के आने पर इस पर विचार किया जायेगा । अब सदन कार्यवाही आरम्भ करेगा ।

पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली राज्य विजली बोर्ड की अनुमानित पूंजी तथा राजस्व प्राप्ति और व्यय और १९५१ के लिये अनुपूरक विवरण

योजना, तथा सिंचाई व विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : बिजली (संभरण) अधिनियम १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) और (५) के अधीन मैं निम्न विवरणों की एक एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं :

(१) १९५१-५२ और १९५२-५३ के लिये दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड कि अनुमानित पूंजी तथा राजस्व प्राप्ति और व्यय का विवरण; तथा

(२) १९५१ के सम्बन्ध में अनुपूरक विवरण ।

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या पी-४८।५२**]

निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० पी० जैन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम डा० काटजू द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव पर कि निवारक नरोध अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : शनिवार को मैं यह कह रहा था कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग या अनुचित प्रयोग बढ़ गया है और किन्हीं संरक्षणों की व्यवस्था नहीं है। अतः इन संरक्षणों की व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है।

तलंगाना और इस के साथ लगने वाले मद्रास के कुछ भाग में जो विशेष पुलिस स्टेशन खोले गये थे, वे बन्द कर दिये गये हैं और वहां शान्ति भंग होने का कोई प्रश्न ही नहीं। सब से अधिक दुःख की बात तो यह है कि सरकार ने किसी भी ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध जिस ने इन उपबन्धों का दुरुपयोग किया है, कोई कार्यवाही नहीं की। चूंकि सरकार जब चाहे इस हथियार को बहुत सुविधापूर्वक प्रयोग कर सकती है और करती रही है वह अब इसे छोड़ना नहीं चाहती और अब जबकि देश में शान्ति है, वह इसकी अवधि में २७ मासों की वृद्धि करना चाहती है।

संरक्षणों के बारे में पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि आदेश पदाधिकारियों अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी न किया जाये। राज्य के मन्त्री ही इस मामले में उत्तरदायी हों और विशेषतया अब जबकि देश में शान्ति है इन अधिकारों का प्रयोग केवल उन्हीं के द्वारा ही होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यदि मेरे माननीय मित्र यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के असाधारण अधिकारों के बिना शान्ति और व्यवस्था नहीं बनाई रखी जा सकती, तो उन के लिए उचित तरीका यह है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक अध्याय बढ़ा दें, जिस के अन्तर्गत उन्हें आपातिक उपयोग के लिए अधिकार मिल सकें।

एक और संरक्षण की व्यवस्था इस विषय में होनी चाहिए कि वह सब सामग्री जिस के आधार पर किसी नजरबन्द को कैद करने का आदेश दिया जाता है, उसे अवश्य देनी चाहिए। जब तक नजरबन्द के पास पूरी सामग्री न होगी, उसके लिए अपनी सफाई देना बहुत कठिन होगा। उसे अपना अभ्यावेदन करने के लिये कानूनी सलाह लेने की सुविधा भी दी जानी चाहिये। सरकार पर उन व्यक्तियों को जोकि अपने परिवारों से जुदा कर दिये गये कुछ भत्ते देने का आभार भी है। इसके लिये मांग की गई है परन्तु यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई।

इन उपबन्धों की समय समय पर जांच करने की भी आवश्यकता है।

यदि सरकार ने हमें इस सम्बन्ध में आंकड़े बतलाये होते कि कितने मामले मंत्रणा पर्षदों को भेजे गये हैं और उन में से कितने मामलों में सरकार ने स्वयं अधीन पदाधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों की पुष्टि या अनुमोदन नहीं किया या उन्हें रद्द कर दिया है, तो इस से हमारी बहुत सुविधा होती और सदन को कुछ संतोष होता कि सरकार इस मामले में सावधानी से काम ले रही है।

मैं यह नहीं समझ सकता कि इस प्रकार के अधिनियम की अवधि को इकट्ठा २७ मासों के लिए बढ़ा देने की मांग कैसे की जा सकती है। मैं इसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ा देने का विरोध करता हूं और इस समय के लिए भी तभी बढ़ाना चाहिए जबकि उपरोक्त सब संरक्षणों की व्यवस्था कर दी गई हो।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरंग) : मैं इस विधेयक की चर्चा को बड़ी दिलचस्पी से सुनता रहा हूं। सब से महत्वपूर्ण बात जो कि विवाद ग्रस्त है, यह है कि क्या किसी अवस्था में साक्ष्य उपस्थित करने और

परिप्रश्न करने की व्यवस्था होनी चाहिये। जहां तक मेरे अपने राज्य का सम्बन्ध है हमारे लिये यह सिद्धान्त स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा। गत कुछ वर्षों में हमें अपने राज्य में, भारत के क्रान्तिकारी साम्यवादी दल के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह दल सारे आसाम और विशेषतया आदिमजाति क्षेत्रों में फैला हुआ है। जिला शिवसागर में इसका संगठन इतना दृढ़ था कि पुलिस के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही असम्भव था। जब कई हत्यायें हो चुकी थीं, तब आसाम सरकार को पता चला और उसने कुछ कार्यवाही की। आतंक और भय इतना फैल चुका था कि लोग सूचना देने का साहस भी नहीं करते थे। परिणाम यह हुआ कि सरकार को कुछ भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका जब सारे का सारा ज़िला ही एक दल से सहमा हुआ हो, तो साक्ष्य कैसे सामने आ सकता है। आसाम के कई भाग ऐसे हैं, जहां एक भी सड़क नहीं है और इस कारण वहां वर्ष भर में कोई पुलिस नहीं पहुंच पाती। वास्तव में पुलिस वहां है ही नहीं। निर्वाचन के दिनों में मुझे एक मंडी में जाना पड़ा था जहां एक सभा की गई थी। उस से पिछली रात को वहां क्रान्तिकारी साम्यवादी दल के नेताओं ने एक डाका डाला था और एक आदमी की हत्या की थी। एक ओर तो हम सभा कर रहे थे, दूसरी ओर साम्यवादी दल वाले कर रहे थे और लोगों को मत देने से रोक रहे थे। जब मैंने राजस्व इकट्ठा करने वाले ठेकेदार से इस घटना के बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि यदि मैं ने आप को बतला दिया, तो दल वाले मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के इस भाग में कितना आतंक फैला हुआ है। वहां तो वास्तव में कोई सरकार ही नहीं। इन परिस्थितियों में आप किस तरह इन लोगों की रक्षा करेंगे? साक्ष्य प्राप्त करना और इकट्ठा करना तो असम्भव है। यदि आप किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिये कहते हैं, तो उसकी जान खतरे में पड़ जायेगी। हो सकता है कि अपराधी को तो गिरफ्तार कर लिया जाये, परन्तु बाहर जो उसके मित्र होंगे, वे तो साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को मार डालेंगे। हाल में एक और ज़िले में भी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस को उस का शासन संभालना पड़ा था। इस दल ने वहां पूरा अधिकार जमा रखा था और इसके सदस्य स्टेन गन हाथों में ले कर सभायें करते थे। पुलिस ने छापा मार कर उन के पास से एक मशीनगन भी बरामद की थी और चोरी की हुई बन्दूकें भी बरामद की थीं। अतः यदि आप साक्ष्य प्राप्त करने पर आग्रह करेंगे, तो सरकार के लिए नागरिकों की रक्षा करना असम्भव हो जायेगा। यह संघर्ष तो आतंक वादियों और जनता के बीच है और सरकार का पहला कर्तव्य यह है कि वह हस्तक्षेप करे और लोगों की रक्षा करे। सरकार लोगों की रक्षा नहीं कर सकी।

मैं इस बात पर अपने माननीय मित्र से पूर्णतया सहमत हूं कि जिस मामले में साक्ष्य उपलब्ध हो, सरकार को किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें साक्ष्य उपलब्ध या प्राप्य न हो, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उस समय सरकार चुप साध लेगी और समाज की रक्षा नहीं करेगी? यदि नहीं, तो सरकार अपने कर्तव्य पालन में असफल समझी जायेगी। निघारक निरोध की आवश्यकता तभी होगी और यह न्याय तभी होगा जब कि साक्ष्य उपलब्ध न हो।

कहा गया है कि यह अधिनियम राजनैतिक दलों और उन के मतों के विरुद्ध प्रयोग किया

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

जायेगा । इस सम्बन्ध में, मैं विरोधी पक्ष के साथ मिल कर कहता हूं कि अधिकारी को निवारक निरोध का प्रयोग अपने आप को सत्तारूढ़ रखने के लिए या राजनैतिक मतों को दबाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए ।

अब सोचना यह है कि भारत में इस समय जो स्थिति है, उसका मुकाबला किस तरह किया जाये ? देश में जो घटनायें हो रही हैं, उन पर दृष्टि डालिए । उदाहरणतः जमींदारी उन्मूलन को लीजिये । एक लोकतन्त्रात्मक तरीके से हम समाज का ढांचा बदलने की चेष्टा कर रहे हैं । किन्तु विरोध तो अवश्य होगा । सौराष्ट्र और अन्य स्थानों पर आन्दोलन शुरू हो चुका है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मद्रास में भी फैल जायेगा । अतः जमींदारी उन्मूलन के प्रयोजन के लिये राज्य को इस अधिकार का प्रयोग करना होगा । अन्यथा उन्मूलन सरलता से नहीं हो सकेगा । इस के अतिरिक्त, यदि किन्हीं परिस्थितियों के कारण कोई लोग एक राजनैतिक दल बना कर हिंसा पर तुल जाते हैं, तब भी सरकार के लिए इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य हो जायेगा । साम्प्रदायिक खिचाव पैदा हो जाने की स्थिति में भी, जैसा कि यह भारत में हिन्दू-मुस्लिम दंगों के रूप में प्रकट होता है, साक्ष्य प्राप्त करना असम्भव हो जाता है, क्योंकि लोग किसी पर विश्वास नहीं करते । यद्यपि उन्हें वास्तविक घटनाओं का ज्ञान तक भी नहीं होता, वे साम्प्रदायिक आधार पर दो विरोधी गुटों में बट जाते हैं । ऐसे मामलों में जहां भी निवारक निरोध अधिनियम लागू नहीं किया गया, वहां सरकार बंगाल या आसाम या भारत के अन्य भागों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकी है और न ही अभियोग पत्र ला सकी है । इस प्रकार की एक घटना में लोगों ने एक शरणार्थी बस्ती को आग लगा दी थी, जबकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था । कारण केवल यह था कि वे उत्तेजित हुए हुए थे । भारत में जो स्थिति है, उसकी तुलना अन्य देशों की स्थिति से नहीं की जा सकती । हम लोकतन्त्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु हम ने शासन की संसदीय प्रणाली को पूरी तरह अपनाया नहीं है । हम अब भी प्रत्यक्ष कार्यवाही का तरीका अपनाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य ने तीस मिनट ले लिए हैं । आज वाद विवाद का अन्तिम दिन है और अन्य सदस्यों ने भी बोलना है । मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि वे कब अपना उत्तर देना चाहेंगे ।

डा० काटजू : १२ बजे का समय ठीक रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो अभी तीन घंटे शेष हैं । यद्यपि माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय बातें कही हैं फिर भी इनका वर्तमान विधेयक से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि एक ऐसी विधि की आवश्यकता है जिस में साक्ष्य के साधारण सिद्धान्त लागू न हो सकें । अब उन्हें अपना भाषण समाप्त करना चाहिये ताकि हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर सकें ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान्, मैं भाषण समाप्त करता हूं ।

डा० काटजू : श्रीमान्, विभाजन की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, यदि आप उचित समझें तो आप कृपया मेरा नाम साढ़े ग्यारह बजे पुकारें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं। चर्चा का समय आधा घंटा और कम हो जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव

चैम्पियन रीफ्स खान में दुर्घटना

अध्यक्ष महोदय : श्री विट्ठल राव ने १।२ अगस्त, १९५२ की रात को चैम्पियन रीफ्स खान में होने वाली दुर्घटना पर, जिस के फलस्वरूप चट्टान के फटने के कारण एक खनिक मारा गया था और पांच अन्य घायल हुए थे, चर्चा करने के लिए, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं पहले माननीय श्रम मन्त्री से स्थिति जानना चाहूंगा।

श्रम मन्त्री (श्री वी० वी० गिरि) : चर्चा आरम्भ होने के समय मैं उपस्थित नहीं था। देर से आने के लिए मैं आप से और सदन से क्षमा मांगता हूं। किन्तु मुझे अब एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने की आज्ञा दी जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चट्टानों के फटने की घटनायें प्रायः होती रहती हैं पिछले एक वर्ष से भारत सरकार इन खानों के निरीक्षण की प्रभारी है। पिछले दिनों राज्य-परिषद में इन घटनाओं के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था और मैं ने सरकार की ओर से यह उत्तर दिया था कि इन दुर्घटनाओं के बार बार होने के कारण सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जिस में मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि होंगे।

दो तीन सप्ताहों से जांच-समिति की बैठक मैसूर में हो रही है। उपरोक्त घटना केवल एक या दो दिन पहले ही हुई है। मैं ने भी समाचार पत्रों में इस के बारे में पढ़ा है। प्रक्रिया के अनुसार जांच करने में कुछ समय लगेगा और सारी जानकारी प्राप्त करने में दो या तीन दिन लग जायेंगे। इन परिस्थितियों में वे माननीय सदस्य जो इस मामले में रुचि लेते हैं वहां जा कर अपना साक्ष्य दे सकते हैं और जांच समिति के सामने अपनी राय दे सकते हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यदि आवश्यकता हुई तो रिपोर्ट तैयार हो जाने पर चर्चा के लिए सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री बिट्टल राव : श्रीमान्, चट्टानों के फटने की घटनायें कई बार हुई हैं और डर यह है कि ये प्रतिदिन न होने लग जायें। ये खानें विश्व में सब से गहरी खानें हैं। मेरा सुझाव यह है कि जांच के परिणाम ज्ञात होने तक, इस खान को अभी बन्द कर दिया जाये और मजदूरों को बेकारी के समय के लिए सहायता दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि इस पर विचार किया जायेगा और कुछ निवारक उपाय किये जायेंगे। जानकारी के बिना हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। अतः मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक----जारी

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : कांग्रेस दल के छोटे बड़े सभी सदस्यों ने समान रूप से इस बात पर बल दिया है कि निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा ही देश में सुरक्षा और शान्ति स्थापित हुई है। सत्तारूढ़ दल यह समझता है कि उस का जीवन ही इस पर निर्भर है और देश की सुरक्षा इस कानून रहित कानून के कारण कायम रहेगी। चूंकि इस का यह पक्का विश्वास है, अतः इस पर उनके साथ बहस करने का कोई लाभ नहीं। हमें तो यह देखना है कि क्या कुछ एक अपवादों को छोड़ कर, यह अधिनियम ठीक तरह और उचित तरीके से प्रयोग किया गया है।

मेरे माननीय मित्र श्री पी० टी० चाको ने अपने भाषण में कहा है कि जब देश खतरे में था, और सब स्थानों पर दंगे हो रहे थे,

[श्री पुन्नूस]

तो इस अधिनियम ने ही देश को बचाया था। त्रावनकोर-कोचीन में १९४८ के निर्वाचन में सभी दलों ने, जिन में साम्यवादी दल भी था, कांग्रेस का मुकाबला किया था और त्रावनकोर के एक छोटे से भाग को छोड़ कर, कांग्रेस ने कोई भी स्थान नहीं खोया। अतः यह कहना कि १९४८ में या १९४८ के आरम्भ में, कांग्रेस को समाज विरोधी शक्तियों से भयानक खतरा था और इस कानून रहित कानून की सहायता के बिना सारे देश में अराजकता फैल जाती, सत्य नहीं है। हर स्थान पर लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया था और कांग्रेस ने अपने नेतृत्व से हर स्थान पर विजय प्राप्त की थी किन्तु विजेता होते हुए इसे, ३,४ या ६ मासों में इस दमनकारी विधि का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बात यह थी कि लोगों ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, तो उन्हें इस से कुछ आशाएं भी थीं। चूंकि ये आशायें पूरी नहीं हुईं, इसलिये सभी लोगों में, मजदूरों में, किसानों में, विद्यार्थियों में, असन्तोष फैल गया और सभाएं और प्रदर्शन होने लगे। तभी कांग्रेस को जन सुरक्षा अधिनियमों का सहारा लेना पड़ा। १९४८ में कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के १० दिन बाद त्रावनकोर-कोचीन में हम सब लोगों की, जिन की संख्या २० या ३० थी गिरफ्तारी के वारण्ट जारी कर दिये गये थे। उस समय हमें त्रावनकोर रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। कुछ मास गुजरने के बाद नई कांग्रेस सरकार ने जन सुरक्षा अधिनियम के नाम की विधि पास की। हमारे साथियों को त्रावनकोर रक्षा अधिनियम से हटा कर जन सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया। कुछ समय बाद उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया। १९५० के आरम्भ में उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण का प्रार्थना पत्र दिया गया किन्तु यह १० मासों तक उच्च न्यायालय की फाइलों में पड़ा रहा। इसके बाद इसे उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां यह निर्णय दिया गया कि हमारे सब साथियों को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है और सब को रिहा कर दिया गया। इस अवधि में एक दो नहीं सैकड़ों, हजारों लोगों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर के हवालात में रखा गया। मैं अपने मित्र श्री चाको से पूछता हूं कि क्या वे कह सकते हैं कि हवालात बदल गये हैं या पुलिस बदल गई है। क्या कोई माननीय सदस्य कह सकते हैं कि हवालात में रह कर आने के बाद प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान कायम रहते हैं? मैं आप को दो उदाहरण देता हूं। एक इंजीनियर जो कि न तो साम्यवादी था, और न ही जिसका किसी साम्यवादी से कोई सम्बन्ध था अलराय में पुलिस इन्स्पैक्टर के बारे में कुछ जानने के लिए गया। पुलिस मैन को उसकी बातें बहुत बुरी लगीं और उस ने उसे मारा पीटा और हवालात में बन्द कर दिया। इसी तरह एक और वृद्ध व्यक्ति भानी को, जोकि मालावार में एक पुलिस इन्स्पैक्टर को आते देख कर खड़ा नहीं हुआ था पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, और वहां से वह स्वयं नहीं बल्कि उस का शव ही निकला। और मैं जानता हूं वह साम्यवादी नहीं था। पेरूर में भी पुलिस का एक ग्रामीण व्यक्ति से झगड़ा हो जाने पर, पुलिस के एक दस्ते ने गांव के प्रत्येक घर में घुस कर सब लोगों को पीटा। इस घटना को हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है किन्तु अभी तक जांच हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे थानों और हमारी पुलिस के तौर तरीके नहीं बदले। श्री चाको ने कल उस घटना का उल्लेख किया था जिस में एक सब-इन्स्पैक्टर, जो किसी

मामले में जांच करने गया था मारा गया था। उन्होंने कहा था कि हत्यारों ने खून से रंगे हुए हाथों के साथ ही गांव में जलूस निकाला था। मैंने किसी समाचार पत्र में सुरानद में जलूस निकाले जाने का समाचार नहीं पढ़ा। सब-इन्स्पैक्टर अवश्य मारा गया था परन्तु जिन परिस्थितियों में आधी रात के समय पुलिस और गांव के लोगों में, जिन में वे व्यक्ति भी थे, जिन्हें पुलिस ने पहले हवालात में पीटा था, लड़ाई हुई थी, उन्हें देख कर मेरी सहानुभूति लोगों के साथ है, पुलिस के साथ नहीं।

१९४८ में हम सब लोग गिरफ्तार कर लिये गये थे। हमारे विरुद्ध वारंट जारी किये गये और इन के अधीन हमें १९५२ तक निरुद्ध रखा गया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने हमें रिहा कर दिया। कुछ सप्ताहों के बाद निर्वाचन होने वाले थे। जूंही साम्यवादियों और उनके समर्थकों ने एक स्थान पर इकट्ठा हो कर निर्वाचन सम्मेलन की तैयारी की, तो पुलिस आ धमकी और उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया। निर्वाचन समाप्त हो जाने तक वे निरुद्ध रहे। किन्तु राज्य में जितने भी निरुद्ध व्यक्ति निर्वाचन के लिए उम्मेदवार थे, वे सब के सब जीत गये थे, मुझे भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने अपना प्रतिनिधि बना कर संसद् में भेजा, यद्यपि मैं छिप कर काम करता रहा था। श्री गोविन्दन नायर को भी, जो कि जेल की दीवार फांद कर भाग निकले थे, ७० प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए। यदि इन मतों का कुछ महत्व है, तो इस का अर्थ यह है कि हमारे लोग निवारक निरोध का अनुमोदन नहीं करते, इस अधिनियम और इस प्रकार के अन्य अधिनियमों के द्वारा प्राप्त होने वाली सुरक्षा का अनुमोदन नहीं करते। यह ऐसी सुरक्षा नहीं है कि जिस पर माननीय प्रधान मन्त्री गर्व कर सके या जिसकी माननीय सदस्य प्रशंसा कर सकें। हमें ऐसी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिस से कि मजदूर, कृषक, मध्यम वर्ग के लोग, सरकारी कर्मचारी और परिश्रम करने वाली जनता स्वयं अनुभव कर सके कि वे वस्तुतः सुरक्षित हैं।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरूपति) : जहां तक हम से हो सका है हम न प्रवर समिति में इस तथाकथित "काला कानून" के रंग को धोने की चेष्टा की है और अब जो इसका रंग है वह इतना काला नहीं है जितना कि बाहर की जाने वाली कार्यवाही का है। यह 'काला कानून' वास्तव में काला नहीं है। मैं अपने साम्यवादी मित्रों से से इस बात पर सहमत हूं कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार उन से केवल यह चाहती है कि उसे पांच वर्ष की शान्तिपूर्ण अवधि दी जाये ताकि वह देश में दूध और शहद की नदियां बहाने का प्रयत्न कर सके।

मेरे नवयुवक मित्रों ने जेल के कष्टों और कठिनाइयों का वर्णन किया है। हमारे लिये ये कोई नई बातें नहीं हैं। हम ने उन से अधिक वर्षों के लिए जेल काटी है। इस सदन के नेता को नजरबन्दों में राजा कहा जा सकता है। क्या देश का कोई और व्यक्ति १२ वर्ष तक अपनी सरकार के अधीन नहीं बल्कि एक विदेशी सरकार के अधीन जेल में रहा है ? क्या हम ऐसे नेता से किसी 'काले कानून' की आशा कर सकते हैं ? इस काले कानून की धज्जियां उड़ा कर जो कुछ भी रह गया है वह क्यों रखा गया है, इस का उत्तर हमें अपने आचार को देख कर देना चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस अधिनियम की अवधि को दो वर्ष और बढ़ाने की मांग करने से हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती। हम सब जानते हैं कि यह एक अस्वाभाविक अधिनियम है किन्तु मुझे सच्चा विश्वास है कि इस की आवश्यकता अभी है।

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

प्रो० हिरेन्द्रनाथ मुकर्जी कहते हैं: "सरकार चोरबाजारी करने वाले को गिरफ्तार नहीं करती। अतः कानून मुझे अपने हाथ में ले लेना चाहिये और मुझे उसे गोली मार देनी चाहिए।" वे यह अधिकार तो चाहते हैं किन्तु सरकार को यह ज्ञात होने पर कि अमुक व्यक्ति छिप गया है और हिंसात्मक तरीकों से सरकार का तख्ता उलटने की चेष्टा कर रहा है उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाना चाहिये। क्या कोई सरकार किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार दे सकती है? मैं उन से पूछता हूं कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी शिकायतें दूर करने के लिये कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिये? मेरे माननीय मित्र प्रोफैसर हैं। फिर भी वे हिंसा में विश्वास रखते हैं और इस पर गर्व करते हैं। मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि यदि मेरे नवयुवक मित्रों की मनोवृत्ति बदल गई होती तो मैं इस अधिनियम की अवधि बढ़ाये जाने का समर्थन न करता।

हम निर्वाचनों में सफलता प्राप्त कर के सत्तारूढ हुए हैं और हमारी अवधि केवल पांच वर्ष है। हमारे नवयुवक मित्र हमारे परिश्रम को विफल क्यों कर रहे हैं। हम ने लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्रता प्राप्त की है। हिंसावाद हमारे देश के लिये अस्वाभाविक ह और इसे यहां फैलने नहीं देना चाहिए। हम ने अहिंसात्मक तरीकों से लड़ा है और स्वतन्त्रता प्राप्त की है। यह याद रखना चाहिए कि हमारा संघर्ष एक विदेशी सरकार के विरुद्ध था। जहां तक आर्थिक जीवन का सम्बन्ध है मेरे साम्यवादी मित्र अहिंसा के तरीकों से लोगों को एक सहकारी समधिराज्य या जो कुछ भी वे चाहते हैं बनान के लिऐ प्रभावित क्यों नहीं करते? किन्तु यदि वे हिंसा का प्रचार करेंगे तो उन्हें नतीजा भुगतना पडेगा। उन्हें मजदूरों का राज स्थापित करने का पूरा अधिकार है किन्तु जैसा कि विधि वक्ता जानते यदि उन का प्रचार हिंसा पर आधारित हो, तो वे इसके अपराध में तत्काल गिरफ्तार किये जा सकते हैं। हम ने इन के साथ नरमी का बर्ताव किया है और उन्हें यह प्रचार करने दिया है कि लोकतन्त्र इस देश के लिए उपयुक्त नहीं बल्कि केवल एकशास्तृत्व ही उपयुक्त है। यदि जनता आप के साथ है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। किन्तु आप कहते हैं कि यदि जनता ने हमारा समर्थन न किया तो हम उसे आतंकित करेंगे और पुलिस को कत्ल कर देंगे। मैं ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में ले लेने की आज्ञा नहीं दे सकती। और इस प्रयोजन के लिए यह निरोध अधिनियम दो वर्ष के लिए अपितु दो सौ वर्ष के लिये आवश्यक है। हमारे ये मित्र खुले तौर से कहते हैं कि हिंसावाद को दिन प्रति दिन बढ़ाना चाहिए। दूसरी ओर हम लोगों का जिन्हों ने देश को स्वतन्त्रता प्राप्त कराई है, यह कर्त्तव्य है कि हर कीमत पर विधान और सुव्यवस्था को बनाये रखें। अतः यदि हमारे कुछ मित्रों को जेल जाना पड़ जाये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम उन की हत्या नहीं कर रहे। उन्हें केवल हानि पहुंचने से बचाया जायेगा।

यह खेद की बात है कि हमारे साम्यवादी नवयुवक स्वतन्त्रता संग्राम से दूर रहे और वास्तव में औरों की सहायता करते रहे। किन्तु अब भी उन्होंने हिंसा में विश्वास नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि वे आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। उन्हें पूरा अधिकार है परन्तु हम जानना चाहेंगे कि इस बारे में उन्होंने क्या काम किया है और वे क्या करना चाहते हैं वे किस प्रकार की संस्थायें स्थापित करना चाहते हैं और उन के सुझाव क्या हैं। हमने आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में कई अधिनियम बनाये हैं परन्तु इन चर्चाओं

के दौरान म उन्होंने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला । उन्होंने राजनैतिक नारों के सिवा और कुछ नहीं सीखा । इससे कुछ नहीं होगा और उन्हें पथभ्रष्ट होने के कारण बाद में पछताना पडेगा । कई नवयुवकों ने अपना जीवन बरबाद कर लिया है ।

मैं आप से कहता हूं कि आप छाती तान कर बाहर आयें और खुले तौर से अपने सिद्धान्तों का प्रचार करें और अपने आप को गिरफ्तार होने के लिये पेश करें । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं । परन्तु आप लोग छिप जाते हैं और एसे लोगों के लिए इस प्रकार का निरोध अधिनियम अवश्य होना चाहिए । इस में बुराई क्या है ? हमारे लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते । उन की रक्षा के लिए यह अधिनियम आवश्यक है । हमारे इन नव-युवक मित्रों को आजमाए हुए प्राचीन तरीकों का अनुसरण करना चाहिए । यदि वे सत्य और अहिंसा का तरीका अपनायेंगे तो उन्हें भविष्य में सत्ता प्राप्त करने का भी अवसर मिल सकेगा ।

साम्यवादी यह समझते हैं कि एक दिन उन की सरकार बनेगी और उन में से जो वकील हैं, वे समझते हैं कि वे विधि-मन्त्री और महाधिवक्ता बनेंगे चाहे उनकी आयु कुछ भी हो । मैं निजी मामलों में नहीं जाना चाहता परन्तु उन के विचार यही हैं । वे देश की स्थिति को नहीं समझते अतः उन सब चीजों की जो उन्हें विरासत में मिली हैं कद्र नहीं कर सकते । जागीरदारों को लीजिये । एक बार कलम चलाने से हम ने इस देश में क्रान्ति कर दी है । ऐसी क्रान्ति कभी किसी और देश में नहीं हुई । सभी महाराजों ने अपने आप खत्म होना स्वीकार कर लिया है । इसके लिये उन की प्रशंसा की जानी चाहिए । किन्तु उन में से कुछ महाराजे सशस्त्र बल प्रयोग से अपने राज्य वापस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या हमें उन की सहायता करनी चाहिये ।

समाजवादी दल के मित्रों ने अपने ढंग से काम किया है । क्या आप को ज्ञात है कि उन्होंने १९४८ में क्या किया था ? उन्होंने कलकत्ता में जल संभरण, बिजली संभरण, ट्राम कारों और अन्य सब चीजों को जो कि एक सभ्य जीवन के लिये आवश्यक हैं बन्द करने के लिये हड़ताल करवाने की चेष्टा की । जब वे वहां असफल रहे तो वे दिल्ली चले आये उन्होंने डी० टी० एस० और बिजली संभरण निगम की हड़ताल करवानी चाही । यहां भी वे असफल रहे तो भागे भागे बम्बई गये और कपड़ा मिलों की हड़ताल करवाने लगे । मैं आप से पूछता हूं कि क्या देश में राज-नैतिक क्रान्ति करने के लिए हड़तालों का प्रयोग करना चाहिए । हम श्रमिक संघता के पक्ष में हैं । हम चाहते हैं कि श्रमिक उचित दर्जा प्राप्त करें और उनकी सब जायज शिकायतें दूर की जायें । किन्तु श्रमिक संघता के नाम से डा० लंका सुन्दरम् जैसे मित्रों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए विजागपटम जा कर बन्दरगाह में काम करने वाले लोगों को प्राधिकारियों के विरुद्ध तो नहीं भड़काना चाहिए । मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा । मैंने और मेरे मित्रों ने एक ही शपथ ली है । यदि पांच साल के बाद आप यह देखें कि यह सरकार असफल रही है या प्रजातन्त्र का यह प्रयोग असफल रहा है, तो आप चिल्ला चिल्ला कर कह सकते हैं कि एक नये प्रयोग की आवश्यकता है । किन्तु आप अधीर क्यों हैं और हड़तालें और द्वारताले क्यों करवाते हैं ?

१९४८ में देश की जो स्थिति थी मैं उसका वर्णन करूंगा । देश में ६२ लाख व्यक्ति शरणार्थी थे । रायलासीमा और अन्य स्थानों पर अकाल पड़ा हुआ था कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था । गांधी जी की हत्या हुई

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कार्यवाही जारी थी। मद्रास से ५० मील की दूरी पर सुलेरपट में रेलगाड़ी के दो डब्बे पटड़ी से उतार दिये गये थे जिस से १८ व्यक्ति मरे। न केवल एस० आई० रेलवे पर अपितु ई० बी० रेलवे पर और अन्य स्थानों पर भी यही हालत थी। फिर फरवरी १९४९ में प्रधान मन्त्री ने एक वक्तव्य में बतलाया था कि साम्यवादी दल क्या क्या कर रहा है। जैसा कि उन्होंने संविधान सभा में कहा था हड़ताल का मजदूरों की हालत सुधारने से या श्रमिक संघों की साधारण कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं था। हड़ताल करवाने का उद्देश्य यह था कि रेलवे की व्यवस्था में गड़बड़ कर के अकाल की स्थिति पैदा की जाये, देश में अराजकता पैदा की जाये और सामूहिक विद्रोह करवाये जायें। मैं यह नहीं कहता कि ये सब काम मेरे माननीय मित्रों ने किये थे। उन में से बहुत से तो निरुद्ध थे। परन्तु विध्वंस करने वाले और लोग बहुत थे। अतः मैं अपने इन मित्रों से कहूंगा कि यदि हम पांच वर्षों में देश को उन्नत न कर सके इसे धनधान्य से भर न सके तो आप इस का शासन संभाल सकते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ स्थानों पर आप ने सफलता प्राप्त की है परन्तु न तो आप के कोई आदर्श हैं और न ही कोई सिद्धान्त हैं। आप का सामान्य उद्देश्य कांग्रेस को हराना था। फिर भी यदि राजाजी उस समय वहां होते तो स्थिति भिन्न होती। चुनौती देने का कोई लाभ नहीं। आप को पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि इन परिस्थितियों में इस अधिनियम को जारी रखना नितान्त आवश्यक है। कुछ सुझाव यह हैं कि यह उन क्षेत्रों में लागू किया जाये जिन के लोग शान्ति बनाये रखने में समर्थ नहीं हो सके। स्पष्ट है कि आपात काल के लिए इस का प्रयोग करना पड़ेगा। बाद में जहां भी आवश्यक हुआ इसे लागू किया जा सकता है। सरकार के लिए एक अधिसूचना जारी करना ही काफी है। हर अवसर पर संसद् के सामने आना आवश्यक नहीं है।

प्रवर समिति ने इस अधिनियम में यह सुधार कर दिया है कि वे सब काम या आरोप जिन के आधार पर निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है एक वर्ष के बाद वापस ले लिये जायेंगे। अतः निरोध सदा के लिए जारी नहीं रह सकेगा और अब यह निरोध अधिनियम न रह कर एक सहायता करने वाला अधिनियम बन जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस का उद्देश्य उन्हें हानि पहुंचाना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है।

मैं यह भी चाहता हूं कि गृह मन्त्री सब विभागों को एक गश्ती चिट्ठी भेजें जिस में यह निदेश दिया गया हो कि मेजिस्ट्रेट अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें और यदि उनसे कोई जियादती हुई हो तो मन्त्री महोदय कड़ी कार्यवाही करेंगे। जब भी यह चीज उन के ध्यान में आये और बोर्ड यह आलोचना करे कि किसी पदाधिकारी ने किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने में असावधानी से काम लिया है तो वे इस मामले को ठीक टाक करेंगे। इस से जनता में उत्साह पैदा होगा। मैं यह नहीं कहता कि निवारक निरोध अधिनियम हमारे सब दुःख दूर कर देगा। और भी बहुत सी चीजें की जानी हैं। किन्तु यह चीज भी आवश्यक है। अतः सुविधाजनक बात यह होगी कि इस अधिनियम को कुछ समय के लिए रखा जाये और इस का प्रयोग कभी कभी और बिना कड़ाई के किया जाये। सरकार को मैं यही सलाह दूंगा। मैं विचार करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मैं कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस अधिनियम के प्रवर्तन का प्रभाव क्या होगा

क्योंकि मैं ब्रिटिश शासन काल में इसका शिकार रहा हूं और लगभग १६ वर्ष तक निरुद्ध रहा हूं। मुझे भय है कि प्रवर समिति द्वारा किये गये संशोधनों के बावजूद भी इस विधेयक में कोई सुधार नहीं हुआ। यद्यपि इस में यह उपबन्ध रखा गया है कि प्रत्येक वर्ष के बाद निरोध के लिये नये कारण देने पड़ेंगे, तथापि इस से यह प्रत्याभूति नहीं मिलती कि किसी को लगातार निरुद्ध नहीं रखा जायेगा। प्रवर समिति के माननीय सदस्य शायद यह नहीं जानते कि इस देश की पुलिस का काम करने का तरीका क्या है। भारत सरकार ने अंग्रेजों से शासन तो संभाल लिया था, किन्तु इसे खास कर पुलिस व्यवस्था को वैसे का वैसा रहने दिया गया है। मैं जानता हूं कि वही गुप्तचर विभाग के अधिकारी, पहरेदार और सूचक जो कि ब्रिटिश शासन काल में राज्यों में हमारा पीछा करते थे, अब भी हमारा पीछा करते हैं। हिंसावादी दलों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहता हूं कि साम्यवादी दल को तो छोड़िये, अन्य सब दलों को जो कि कांग्रेस का विरोध करने का साहस करते हैं और ब्रिटिश काल में 'काली सूची' में थे, विध्वंसकारी घोषित किया जाता है और उन की निगरानी की जाती है। मैं जानता हूं कि यद्यपि पिछले पांच वर्षों से मैं ने कोई विध्वंसकारी काम नहीं किया, बंगाल में प्रवेश करते ही मेरे ऊपर पुलिस की निगरानी शुरू हो जायेगी। हमारी डाक खोल ली जाती है और सात आठ दिन बाद हमें कटी फटी हालत में मिलती है। यह बरताव न केवल हमारे दल से बल्कि उन सब दलों से किया जाता है जो कि कांग्रेस के विरोधी हैं।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, कुछ माननीय सदस्यों ने कलकत्ता में होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया है। मैं भी एक ऐसे दल से सम्बन्धित हूं जिस ने कलकत्ता के प्रदर्शनों के आयोजन में सक्रिय भाग लिया था। और हम ने अहिंसा का, गांधी जी का तरीका अपनाया था और सरकार को उचित पूर्व सूचना दी थी। इन प्रदर्शनों में साम्यवादी दल का कोई हाथ नहीं था और इस से अहिंसा के सच्चे पुजारी डा० प्रफुल्ल चन्द्र घोष और सुरेश चन्द्र बैनर्जी जैसे व्यक्तियों ने भाग लिया था। उन्होंने अनुभव किया था कि जब तक इस प्रकार की स्थिति पैदा न की जाये, बंगाल में उत्पन्न होने वाली अकाल की भयानक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया जा सकता। उस के बाद जो कुछ हुआ मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु क्या वास्तव में इन घटनाओं के कारण निवारक निरोध अधिनियम को जारी रखने का समर्थन किया जा सकता और मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या इन घटनाओं के कारण इस हानिकारक अधिनियम को दो वर्ष तक जारी रहने देना न्यायोचित है ?

आसाम के एक माननीय सदस्य ने क्रान्तिकारी साम्यवादी दल की कार्यवाही की ओर निर्देश किया था। १९४८-४९ में जो घटनायें हुई थीं, उन की अभी तक कोई उचित जांच नहीं हुई। मैं इस दल के नेताओं के सम्पर्क में हूं और जानता हूं कि वे वास्तव में वर्तमान लोकतन्त्रात्मक संवैधानिक आन्दोलन में भाग लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझ से प्रार्थना की थी कि मैं उनका मामला सरकार के पास ले जाऊं और उस से पूछूं कि उनका क्या दोष है। यद्यपि पिछले दो वर्षों से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिस के कारण उन्हें दोष दिया जा सके, वे अब भी निरुद्ध हैं और पुलिस उनका पीछा करती है। गुप्तचर विभाग और गुप्त पुलिस के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि इस अधिनियम के प्रवर्तन में कोई ढील नहीं की जा सकती। अतः पुलिस के मुख्याधिकारी सरकार को सदा यह परामर्श

[श्री टी० के० चौधरी]

देते हैं कि इस विधेयक को जारी रखा जाये ताकि गुप्तचर विभाग के काम में कोई बाधा न पड़े। इस खतरे के कारण इस तथ्य के कारण कि सरकार ने गुप्त पुलिस व्यवस्था को बदलने या इस में सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, हम इस विधेयक से डरते हैं। मुझे उतना दुख न होता यदि यह पुलिस एक राजनैतिक पुलिस होती जोकि राजनैतिक सूझबूझ से काम ले सकती है। परन्तु वर्तमान पुलिस तो अंग्रेजों के ज़माने का भाड़े का टट्टू है।

मन्त्रणा परिषदों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। उन व्यक्तियों के बारे में, जोकि मजिस्ट्रेटों को परामर्श देते हैं कि अमुक लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्या उपबन्ध है ? मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन में बहुत से लोगों को किसी विशेष दल के सदस्य होने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि यह अधिनियम व्यक्तियों के विरुद्ध है, दलों के विरुद्ध नहीं।

यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध गुप्त चर विभाग ने रिपोर्ट कर दी हो और वह गिरफ्तार कर लिया गया हो तो जिला मस्जिट्रेट भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकता। अतः जब तक ब्रिटिश काल की किराये की पुलिस का शासन बेरोक टोक जारी रहेगा हम सर्वथा इस अधिनियम का विरोध करते रहेंगे। जब तक यह अधिनियम कायम है, गुप्त पुलिस की रिपोर्टें आती रहेंगी। ये रिपोर्टें, जिला पुलिस के मुख्य अधिकारी के पास जायेंगी और वह इसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। मजिस्ट्रेट फिर निरोध का आदेश जारी करेगा। अंग्रेजों के ज़माने में यही प्रणाली थी और अब भी यही है। जब तक यह प्रणाली जारी रहेगी, मेरा दल इस विधेयक का घोर विरोध करता रहेगा।

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : निरोध का अनुभव किस ने नहीं किया ? हम सब जानते हैं कि यह एक बहुत कठोर चीज़ है। निरुद्ध व्यक्ति को जेल में चाहे सब सुविधाएं दे दी जायें, उस के मन को कभी शान्ति नहीं मिल सकती। हमारे संविधान के निर्माताओं ने शान्ति काल में निवारक निरोध रखने की व्यवस्था की है और आपात काल में उन्होंने अनुच्छेद ३५२ लागू करने का उपबन्ध किया है। यदि इस संसद ने इस नये कानून को बनाने का निश्चय किया है, तो उसने गम्भीर हृदय से और उत्तरदायित्व की भावना से ऐसा किया है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हम चाहते हैं कि नागरिक पर कम से कम प्रतिबन्ध हों। सम्पत्ति नष्ट करने या जान लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारा अधिकार यह है कि जाने से पहले हम इसे अपने उत्तराधिकारियों के हाथ में दे जायें और हमारा रास्ता अहिंसा का रास्ता है। राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता। अमेरिका जैसे देश को भी अपने निर्माण में १०० वर्ष लगे थे। हमें तो अभी पांच वर्ष ही हुए हैं। हमें कम से कम १० साल की अवधि तो दीजिये ताकि संविधान के रचियताओं ने हमें देश की सुरक्षा का जो पैतृक धन दिया है, वह हम अपने वंशजों को हस्तान्तरित कर सकें। विभाजन के बाद पंजाब में खून की नदियां बहाई गई थीं, किन्तु आज एक सुस्थिर सरकार काम कर रही है। जितनी स्वतन्त्रता आज इस देश में है, और कहीं नहीं है। यहां का प्रैस अन्य सब देशों के प्रैस से अधिक स्वतन्त्र है। इस देश की संसद् को देख लीजिये। यहां आप को साम्यवादी, आतंकवादी और अन्य सब प्रकार के और सब मतों के लोग

दिखाई देंगे । हमें लोकतन्त्र के भाव से काम करना चाहिए । यदि विरोधी पक्ष के लोग शासन संभालना चाहते हैं और एक दिन वे अवश्य संभालेंगे, तो उन्हें उचित साधन अपनाने चाहियें और कोई ऐसे काम नहीं करने चाहियें जिस से भाई भाई का शत्रु बने और उन के हाथ खून से रंगे जायें ।

नज़रबन्दों को कानूनी सहायता देने के बारे में मैं माननीय गृह मन्त्री से अधिक उदारता दिखलाने के लिए प्रार्थना करूंगा । मैं उन से सविनय प्रार्थना करूंगा कि जैसे इंग्लैण्ड में नज़रबन्दों को वकील करने की आज्ञा है, यहां भी उन्हें ऐसा करने की आज्ञा होनी चाहिए । चाहे वकीलों को गवाहों से जिरह करने या नज़रबन्द को अपनी सफ़ाई के लिए गवाह बुलाने की आज्ञा न हो । फ़िर भी उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अवसर तो देना चाहिये ।

पिछले शनिवार और रविवार को अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एक वाद-विवाद आयोजित किया था । इस में प्रो० मुकर्जी का भाषण भी हुआ था । उस में उन्होंने भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा हिन्दी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जो बातें कही थीं उससे यह स्पष्ट होता है कि साम्यवादी दल का अपना अलग कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम का एक पद यह है कि वे ऐसे कार्य करेंगे और ऐसे हथकंडे का प्रयोग करेंगे जिस से कि एक सम्प्रदाय दूसरे के विरुद्ध उठ खड़ा हो और राज्य की नींव फ़िर से हिलने लगे, जैसा कि विभाजन के समय हुआ था । हम ऐसा नहीं होने देंगे । यदि वे ऐसा करेंगे, तो उन्हें अवश्य निरुद्ध करना चाहिए । देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले, एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय से लड़ाने वाले और हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव कमज़ोर करने वाले लोगों को ही निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध करना चाहिए ।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा—दक्षिण) : अध्यक्ष जी, जब डाक्टर श्यामा प्रसाद जी इस बिल पर बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई इस कानून को लाने के लिये जिम्मेदार है तो वह खुद ही हैं । वह आज अपोजीशन (विरोधी पक्ष) में हैं, इसलिये ऐसा बोलते हैं, पर जब यह कानन बना था उस समय वह खुद ही चिन्तित थे और सब से ज्यादा तो वह ही आतुर थे कि देश में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इस को संभालने के लिये कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये । उन्होंने मोती लाल जी की स्पीच कोट (उद्धृत) की और उस दिन को याद किया जब कि यहां सरकारी बेंच पर बम पड़ा था । मुझे मालूम नहीं वह उस वक्त कहां थे । मैं तो उस दिन यहां थी और उस दिन ऊपर गैलरी में बैठी थी । और परदे के पीछे क्या चलता था वह भी मुझे मालूम है और जब वाइसराय ने यह ऐक्ट सरटीफाई (प्रमाणित) किया तब जिन के हाथ में शासन था वह लोग सब खुश हुए, क्योंकि उन लोगों को तो हम को कुचलना था, अपनी सत्ता यहां कायम रखनी थी । हम को इस कानून को पास करने में खुशी थोड़े होती है । हम को तो दुःख होता है और वह इस लिये कि हम ने जो इतने साल तक कष्ट सहे तो इस लिये कि अपने देश को मुक्त करें इस लिये नहीं कि हम ऐसा कानून पास करें । लेकिन आज देश में ऐसी हालत है और हमारे अपने लोग ऐसे उलटे रास्ते पर चल रहे हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ।

यहां सिविल लिबर्टी (नागरिक स्वतन्त्रता) की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन जिन के ऊपर शासन की जिम्मेदारी होती है उन को सोचना पड़ता है और अगर एक आदमी की भी सिविल लिबर्टी जोखिम में होती है तो उस के लिये उन को रास्ता

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

निकालना पड़ता है । अगर कोई लोग तार और टैलीफोन कोखत्म करनाचाहें,रेल की पटरियों को उखाड़ना चाहें, बड़े बड़े शहरों के अन्दर ड्रेनेज (निकासी) और नलों के साथ खेलना चाहें और बड़े बड़े शहरों को खतरे में डालना चाहें, और ऐसा प्रोग्राम करना चाहें, तो क्या उन लोगों को लिबर्टी देनी चाहिये । अगर ऐसी बातों का पता चले तो ऐसे लोगों को इस कानून के नीचे कुछ समय तक रखना अच्छा होगा । तो जो शासन चलाने वाले हैं उन को तो सोचना पड़ता है और सोचने का उन का धर्म और कर्तव्य है कि अगर ऐसा प्रसंग आवे तो उस वक्त क्या करना चाहिये । यहां इस बात का वर्णन किया गया है कि डिटेंशन (निरोध) में क्या क्या तकलीफें होती हैं । कुछ ने अपने ऊपर क्या बीता है और कुछ ने जो दोस्तों के ऊपर बीता है वह बतलाया है । इन बातों की यहां क्या जरूरत है क्योंकि जो आज मिनिस्ट्री में हैं उन में से तीन को छोड़ कर और सब को तो इसका थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका है । और जेल में रहने से, डिटेंशन में रहने से, चाहे उस के शरीर को कितना ही सुख क्यों न दिया जाये, तो भी मन के ऊपर तो जो रुकावट रहती है उस से परेशानी तो होती ही है । किन्तु जो शासन चलाता है और जिस के हाथों में अपने देश के करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है, उस को तो यह चीज सोचने की है कि जो थोड़े से लोग उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं उन को किसी तरह से समझाया जाये, और अगर वह न मानें तो उन के साथ क्या किया जाये ।

कुछ लोगों ने कहा कि इस में वकील तो देना चाहिये क्योंकि जो भी कानून बनाया जाता है उस में वकील की सहायता दी जाती है । जब हमारा विधान बना उस समय हमारे देश के बड़े बड़े दिमाग वाले वकील भी जमा हुए थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वही लोग जिन्होंने विधान बनाया था, सुप्रीम कोर्ट में इस विधान की एक वकील एक अर्थ करता है और दूसरा वकील दूसरा अर्थ करता है । तो इस में क्या है । इस कानून में सीधी सादी बात है । जिस को डिटेन किया जाता है वह एडवाइजरी बोर्ड (मन्त्रणा बोर्ड) के सामने खुद बुलाया जाता है और अपनी बात कह सकता है । उस को कहा जायेगा कि भाई तुम्हारे ऊपर इस इस चीज की शंका है, यह यह चीज तुम कर चुके हो और यह यह चीज तुम ने की हैं, और यह करने का तुम्हारा प्लान है । यह सुन कर वह बतायेगा कि मैं ने यह किया है या नहीं, मेरा क्या करने का विचार था या नहीं था । मुंह पर सीधी सीधी बात होती है । जब मनुष्य से यह बात पूछी जाती है और वह जवाब देता है तो साफ लिया जा सकता है कि यह कितना झूठ बोलता है । और कितना सच बोलता है और जो यह रास्ता निकाला गया है इस का कारण भी है । अगर वकीलों को बीच में डालेंगे तो जितनी जल्दी न्याय देने का इरादा है वह सब मिट जायेगा क्योंकि, वकील तो एक के बाद एक किताब निकालेंगे, कानून निकालेंगे, एक दूसरे के सामने बहस करेंगे और उसमें बहुत समय लग जायेगा तो कानून पेश किया जा रहा है उस के मुताबिक जो आदमी पकड़ा जायेगा वह तो खुद सब जानता होगा, सरकार से तो खुद ज्यादा ही जानता होगा, कि उसके दिल में क्या प्लान (योजना) है, वह क्या करना चाहेगा और क्या कर चुका है । इस लिये मैं तो पूरा मानती हूं कि वकील को तो इस में रखना ही नहीं चाहिये । हम जानते हैं, हमारा यह अनुभव है कि आज हमारी अदालतों में जो जज हैं उन को एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह तो अपने न्यायासन पर बैठ कर न्याय

करते रहते हैं। उन को इस से कोई सम्बन्ध नहीं कि उस का परिणाम क्या होता है। वह तो जो केस उन के सामने आता है उस का न्याय करने से मतलब रखते हैं। इस एडवाइजरी बोर्ड में एक जज को रखा गया है। तो फिर डरने की क्या बात है।

इधर हैदराबाद और तिलंगाना का बहुत नाम लिया गया है।

एक मौके पर एक भाई ने जो आफिसर तेलंगाना में रखा गया था और वहां काम किया उस का वहां पर जिक्र किया गया। वह आफिसर अपनी जान खतरे में डाल कर कितना जोखिम उठा कर काम कर रहा था ? मुझे आज भी याद है कि सन् १९५० में जब हम को हैदराबाद जाने का मौका हुआ और वहां पर अपनी आंखों से देखा एक कमरा भरा हुआ देशी बमों, स्टेन गनें, ब्रेन गन और मशीन गन तक जो कम्युनिस्ट से तेलंगाना में मिले थे। कम्युनिस्ट भाई इस तरह शस्त्रों को धारण किये हुए गरीब तेलंगाना की जनता पर जुल्म कर रहे थे, वह दुखदायी दृश्य आज भी हमारी आंखों के सामने बिल्कुल ताजा मौजूद है। उन दिनों किस प्रकार यह लोग तेलंगाना के जंगलों में जा कर और कैम्प बना कर इन शस्त्रों की ट्रेनिंग देते थे और प्रैक्टिस करते थे। अब इन लोगों का यह कहना कि हम को सरकार फलां चीज दे, तभी हम इन शस्त्रों को देंगे, यह आप का क्या आर्गुमेंट है। आखिर अगर आप वाक़ई यह समझते हैं कि तेलंगाना के लोग आप से मोहब्बत करते हैं और उन को आप का प्रोग्राम और पालिसी पसन्द आ गई है, तो फिर आप को इन हथियारों की क्या जरूरत है। अगर सच मुच आप ने वहां की जनता का दिल जीत लिया है और वह आप के पीछे है, तो फिर आप को इन शस्त्रों की क्या आवश्यकता है। हमारे सब के सामने महात्मा गांधी का जवलन्त उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने बिना किसी हथियार व सेना के शान्तिमय असहयोग के रास्ते से इतने बड़े अंग्रेजी शासन को इस देश से खत्म कर दिया, बिना एक लकड़ी की सहायता लिये उन्होंने इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य को उलट दिया, वह रास्ता शान्ति और अहिंसा का आप के लिये आज भी खुला पड़ा है, और आज तो डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) का युग है, आप के ही भाई लोग वोट प्राप्त कर के शासन कार्य चला रहे हैं, आप क्यों नहीं प्रेम से जनता का दिल जीतने का प्रयत्न करते और कांग्रेस को सत्ता से उतारने की कोशिश करते आप जनता के वोट प्राप्त कर के कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, और खुद शासन भार संभाल सकते हैं। जब आप यह घोषणा करते फिरते हो कि हम कम्युनिस्टों ने अब वायलंस (हिंसा) का मार्ग छोड़ दिया है, तब आप को इन शस्त्रों वगैरह के रखने की क्या जरूरत है और जब आप के दिल में सच मुच देश के प्रति वफादारी की भावना है, तो फिर चाहे इस से भी कड़ा कानून क्यों न बनाया जाय, आप को उस से डरना नहीं चाहिये। और फिर यह कोई नया कानून नहीं है, यह कानून पिछले दो तीन वर्षों से चालू है और इस कानून के रहते हुए आप लोग यहां मौजूद हैं, इस कानून के रहते हुए भी आप आज जो चाहें सो भाषण करते रहते हैं, आप के भाषण में क्या चीज नहीं होती ? सब जानते हैं कि आप किस तरह अपना प्रचार कार्य करते हैं, और जब आप व्याख्यान देते हो या और एक्शन (कार्यवाही) लेते हो तो क्या आप सोचते हो कि हम इस कानून की जद में तो नहीं आते हैं ? मेरा अभिप्राय यह है कि जब आप कानून के रहते हुए इस तरह प्रचार कर सकते हो और भाषण इत्यादि दे सकते हो, तो यह बात सिद्ध करती

[श्रीमती मणिबेनपटेल]

है कि कानून ऐसा कोई जुल्म नहीं है जैसा कि उसे बतलाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो मेरे एक कम्युनिस्ट भाई ने जेल में किस तरह जुल्म किया जाता है सुनाया किस तरह पुलिस जुल्म करती है और लोगों को मारती पीटती है, एक भाई ने बतलाया कि पुलिस ने उस का हाथ तोड़ डाला, यह ठीक है कि आप जेल गये हो, लेकिन जेल हम भी गये हैं और हम ने भी विदेशी शासन काल के समय में पुलिस और जेल की सख्तियों और दिक्कतों को बरदाश्त किया है और हमें उस का काफी अनुभव है। लेकिन मैं आप से पूछती हूं कि आप ने जेल में जा कर क्या अपने तरीके को बदला ? आप को इस बात की शिकायत रहती है कि जेल में हम को बाहर सोने नहीं दिया जाता और हम को बहुत जल्दी बैरकों में बन्द कर दिया जाता है, लेकिन आप ही बतलाइये क्या किया जाये। आप का तो तरीका जेल में जा कर भी जेल के कानून रखने का, पालन करने का नहीं है, वहां भी आप आये दिन गड़बड़ी करते रहते हैं, जेल नियमों का उल्लंघन करके हो सके तो भाग जाने का रहता है, अब जिन लोगों का यह पेशा हो उन के साथ अगर जेल में कानून के मुताबिक सख्ती की जाय, तो उस में कौन सी अनुचित बात है और मैं पूछती हूं कि सख्ती क्यों न उन के साथ की जाये। मैं ने तो होम मिनिस्टर को कहा भी कि जब हम सब लोग, चाहे कांग्रेस पक्ष के हों, या विरोधी पक्षों के, सब लोग पांच साल के लिये इलेक्ट (निर्वाचित) हो कर आये हैं और इन पांच सालों में हमारा सब का उद्देश्य इस देश की गरीबी को दूर करना है और देश की उन्नति करना है, जब हम इस के लिये प्रयत्नशील हैं, तो फिर इस कानून को आप चार वर्ष के लिये क्यों नहीं लाग करते हो, दो वर्ष के बाद अगर जरूरत समझी जाये तो हाउस इस विषय पर फिर बहस और विचार कर सकता है, जब आप देश के प्रति वफादारी और सेवा की भावना रखते हैं तो फिर आपका यह हल्ला और शोरगुल और गड़बड़ी करना समझ म नहीं आता है। अगर सच मुच आप देश का विकास करने में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर चाहे इस से भी कड़ा कानून क्यों न बनाया जाय, उस में आप का क्या हर्ज है। हां अगर आप के दिल के अन्दर कोई दूसरी बात है और आप देश के हित को खतरे में डालना चाहते हैं तब आप को अवश्य इस कानून से डरना चाहिये, अगर आप के दिल में देश में कोई गड़बड़ी करने की बात हो तब तो ऐसे लोगों को अवश्य इस कानून से खतरा महसूस करना चाहिये और इस से डरना चाहिये। परन्तु जो एसा नहीं करना चाहते उन को इस कानून से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है।

यहां महात्मा जी का नाम ले कर और उन को कोट करने की कोशिश की गई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब महात्मा जी को कोई कोट करना चाहे तो उस को सही तौर से कोट करना चाहिये, सन् १९४६ में जब यहां पर विदेशी शासन था तब महात्मा जी ने यह लिखा था कि अन्न के बारे में आपको इस तरह से गरीब लोगों को बहकाना नहीं चाहिये अन्न की जितनी मात्रा हो उस में साल भर चलाने में मदद करनी चाहिये। आज जो लोग यह बात बड़े गर्व से कहते हैं कि कलकत्ता में हम ने हंगर मार्च (भूखों का जलूस) आरगेनाइज़ (आयोजित) कराया, पबलिक के इतने बड़े डिमान्स्ट्रेशन्स (प्रदर्शन) किये, मैं पूछती हूं कि सन् १९४३ में जब बंगाल में कलकत्ता से हजारों लाखों भूख से मर रहे थे कांग्रेस तो उस समय जेल में बन्द पड़ी थी लेकिन आज के यह डिमांसट्रेशन कराने वाले उस वक्त कहां थे ? उस समय क्यों

नहीं उन्होंने हंगर मार्च आरगनाइज़ कराया ? आज आप ने यह हंगर मार्च इसलिये नहीं कराये कि कोई वहां भूख से मर रहा है या खाने को नहीं मिल रहा है बल्कि आप ने यह प्रदर्शन इसलिये आरगेनाइज़ कराये कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने वहां पर फूड सप्लाई (खाद्य संभरण) के लिये जो वायदा किया था वह पूरी तौर से इम्पलीमेंट (कार्यान्वित) नहीं हुआ था । पबलिक को अनुचित कामों के लिये उकसाया जाता है और हंगर मार्च आरगनाइज किये जाते हैं, पबलिक द्वारा अन्न के गोदामों को लुटवाने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस को क्या आप नान वायलेंस (अहिंसा) कह सकते हैं ? और सरकार द्वारा अगर ऐसे लोगों को पकड़ने और उन्हें उचित दण्ड देने की व्यवस्था की जाये तो उसे में किसी को क्यों कोई एतराज़ होना चाहिय, सरकार और कर ही क्या सकती है । यह तो हम भी चाहते हैं कि सरकार के पास जो अन्न भरा पड़ा है जो स्टाक जमा है वह आवश्यकता पड़ने पर सब को देने की व्यवस्था हो, माकूल इन्तजाम हो ; लेकिन इस का अर्थ यह नहीं हो सकता कि जनता खुद अपने हाथ में इन्तज़ाम ले ले और एक गड़बड़ी पैदा कर दे और लूट मार करने लगे और अगर आप जान बूझ कर इस तरह के कार्य करते हैं तो फिर आप को उस का परिणाम भी भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये । जब आप वायलेंस की राह चलते हो तो आप को उस के परिणाम भी भोगने के लिये तैयार रहना चाहिये । और सामना करने में आप पर जो बीते उस के लिये शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

एक यह भी बहुत बड़ा हल्ला मचाया है कि कम से कम और कुछ नहीं तो जो डिटेन किया जाये उस के कुटुम्ब के लिये कुछ न कुछ इन्तज़ाम होना चाहिये । क्यों ? जो स्टेट के रास्ते में होना चाहता है जिस देश के साथ मुहब्बत होनी चाहिये उस देश में इस तरह के काम करता है, उस के लिये ? जब आप हज़ारों की जान खतरे में डालना चाहते हैं, और वायलेंस से इस शासन को उठा देना चाहते हैं तो फिर आप ने अपने कुटुम्ब का भी पूर्ण इन्तज़ाम किया ही होगा । आप के कुटुम्ब के लिये टैक्स पेयर (करदाता) का पैसा देना चाहिये ऐसा कहने का क्या मतलब ? आप कहते हैं कि "हम को सेलेक्ट कमेटी में कुछ करने नहीं दिया गया, आप का कुछ माना नहीं ।" आप लोग हम को कन्विन्स (सन्तुष्ट) नहीं कर सके कुछ बता नहीं सके । इसलिये हम ने कोई चीज़ नहीं मानी । जिस चीज़ में आप कन्विन्स कर सके उस को हम ने किया । कन्विन्स नहीं कर सके, इसलिये नहीं मानने पर ऐसा कहना कि हम तो सेलेक्ट कमेटी में निश्चित मत से गये थे इस से क्या फायदा ?

यहां पर सदस्यों ने जितने विशेषण अंग्रेज़ी भाषा में थे उन सबों को इस ऐक्ट के वास्ते कहा । ब्लैक से ले कर जितने विशेषण हो सके वह यहां लाये गये । लेकिन इस से हमारे मत का परिवर्तन नहीं हो सकता । हां आप दलील दे कर के कुछ बतायें तो हमारी तरफ से विचार करने की कोशिश भी हो । परन्तु अगर आप का मतलब खाली प्रचार से है तो जरूर वह विशेषण कुछ उपयोग के हैं । बाकी इस तरह से दिल का परिवर्तन नहीं हो सकता है । और बात तो बहुत सीधी सादी है, जब आप स्टेट के विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं, स्टेट को उठा देना चाहते हैं, तो उसका परिणाम भी भुगतने को तैयार रहना चाहिये । इस देश में रह कर जिस परदेस से आप की मुहब्बत है और जिस देश का नाम यहां बार बार लिया जाता है, उस की तारीफ की जाती है, वहां के कई ग्रुप्स (गुट) और ऐलिमेंन्ट्स (तत्व) ने ऐसा किया है वैसा

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

आप शुरू कर दें तो आप की आवश्यकता भी बची नहीं है, और उन के साथ कुछ भी करना ज्यादती नहीं है । यह हम जानते हैं लेकिन जहां तक आप वायलेंस नहीं करते वायलेंस तक नहीं जाते तब तक आप जो चाहे कह सकते हैं । और जो चाहे कर सकते है पर बात तो यह है कि पैट्रोल पड़ा है, पास में दियासलाई उस से खेलना चाहते हैं और कहते हैं कि "हमारी सिविल लिबर्टी है ।" आप इतने लोग यहां बैठे हैं, इस से क्या कहते हो ? जो लोग दियासलाई ले कर पैट्रोल के साथ इस तरह से खेलना चाहते हैं उन को अगर डिटेन न किया जाये तो क्या किया जाय ? इस लिये मेरा तो पक्का मानना यह है कि जो यह कानून बन रहा है उस में बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी चाहिये । डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो भलमनसाहत है उस को और जो उनका भला स्वभाव है उस को अपील कर के उन का दिल हिलाने की कोशिश की है । अच्छी बात है । वह भी मिनिस्ट्री में रहे हैं इसलिये उन के नर्म स्वभाव को भी जान गये हैं उन के कड़े स्वभाव को भी जान गये हैं । मेरी तो यह विनती है कि जब कानून बनाना है तो अच्छा कानून बनाओ । ठीक कानून बनाओ । बदनामी लेने से क्या फायदा । जब बदनामी लेनी ही है तो शासन तो ऐसा रखो कानून तो ऐसा बनाओ कि जिस से अपने देश को लाभ हो । आप गाली भी लोगों की खाते रहें और कानून भी ऐसा निकम्मा बने जिस से देश को लाभ न हो, तो आप के कानून बनाने से क्या फायदा । इसलिये मेरी तो विनती यह है कि आप इस में ज़रा भी ढीलापन न होने दें ।

यहां अमरीका और इंग्लैंड का बार बार नाम लिया गया । परन्तु इंग्लैंड या अमरीका में जो सरकार के विरोधी लोग हैं वह वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, किसी को जान से मार देते हैं । वहां भी जब लेबर पार्टी की हुकूमत थी तो जो कंजर्वेटिव सामने थे, आज जब कंजर्वेटिव की हुकूमत है तो लेबर पार्टी सामने है, वह देश में भी, और अपनी कांस्टीट्यूऐंसी (निर्वाचन-क्षेत्र) में भी, अपने मत का प्रचार करते हैं, पार्लियामेंट में भी करते हैं, परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है न मैंने कहीं सुना न पढ़ा कि वह लोग किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं । किसी को मार देने की कोशिश करते हैं । जब हमारे यहां ब्रिटिश शासन था तब भगत सिंह ने जो किया उस के लिये हम लोगों के दिल में यह बात उठी कि उसने हिम्मत का काम किया है अपने देश के लिये । महात्मा जी जैसे अहिंसा को मानने वाले और कांग्रेस ने भी उस की जान बचाने की कोशिश की क्यों कि दुनिया में यह चलता आया रास्ता है, कि अगर परदेशी शासन हो तो उस का सामना हिंसा से करना और उस को उठा देना । महात्मा जी ने एक और रास्ता बताया कि अहिंसा से भी परदेशी शासन को उठाया जा सकता है । परन्तु क्या कोई भी सच्चा भारत-वासी गोडसे ने जो किया उस के बारे में ज़रा भी गौरव ले सकता है उस के लिये हमारे दिल में सदा के लिये दुःख और शर्म ही रहेगी कि हमारे देश म ऐसा एक इन्सान निकला जिस ने दुनिया में जो सब से श्रेष्ठ पुरु था उस की जान लेने की सोची । नहीं तो आज हमारे देश की शक्ल कुछ और ही होती ।

यहां पर बार बार कराची रेज्योल्यूशन का नाम लिया गया है कि "हम भी फ्यूडल सिस्टम (सामन्त प्रणाली) निकालना चाहते हैं, हम आप के साथ उस में शरीक हैं ।" कराची रेज्योल्यूशन में क्या लिखा है । हां उस म लिखा है कि जमींदारी उठा देनी

चाहिये । लेकिन मैं पूछती हूं कि इस के लिये क्या जमींदार को मार देना चाहिये । वहां ऐसा नहीं है । वहां तो कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) की बात लिखी है और इसी लिये हमारी सरकार को इस में इतनी देर हो रही है । हमारी सरकार ने तो बताया है कि जिस प्रकार से राजाओं के दिल का परिवर्तन कर के उन के पास से एक बूंद भी खून बहाये बिना राज्य ले लिया और उन की हमदर्दी भी रख ली इसी तरह से हो सके तो सब जगह जमींदारी भी उठाना चाहते हैं और न हो सके तो कानून का रास्ता है, परन्तु जो रास्ता आप बताते हैं, जिस तरह से तैलंगाना में करने की कोशिश की है वह रास्ता हम नहीं ले सकते । मुझे आज भी याद है कि तेलंगाना से जो बेचारे जमींदार भागते थे वह हमारे पास आते थे और डरते डरते कहते थे कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम को बचाओ ।

इस लिये मेरा तो आप से यही कहना है कि इस कानून के पास करने में बिल्कुल झिझकना या डरना नहीं चाहिये । यह कहना कि आप की रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट है, सी० आई० डी० की रिपोर्ट है, इससे क्या होता है । क्या जब तक डाक्टर श्यामा प्रसाद मिनिस्ट्री में थे तब तक वह पुलिस की रिपोर्ट ठीक थी, वह रिपोर्ट सी० आई० डी० की ठीक थी और आज ठीक नहीं है ? आखिर वह अपने ही तो लोग हैं, अपने ही किसी न किसी के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं । उन का इस चीज में क्या रस कि गलत खबर आप के खिलाफ दें । वह लोग जानते हैं कि अगर एक गलती की जायेगी तो उस का हिसाब लिया जायेगा और मैं तो जानकारी के साथ कह सकती हूं कि कोई ऐसी चीज़ होती है तो तुरन्त इस के बारे में खबर की जाती है और मिनिस्टर खुद पता लगायेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है । इस के जानने के लिये हमेशा मिनिस्टर और मिनिस्टरी इन्तज़ार में रहती हैं ।

कहते हैं कि हमारे यही लोग हैं जो विदेशी शासन में थे और वही आज पुलिस वाले हैं । इस लिये हमें कबूल नहीं हो सकते । तो क्या आप लोग यह सोचते हैं कि जब कभी आप लोगों के पास सत्ता आयेगी तो आप यह जितने सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं और जो लोग लश्कर में हैं उन को खत्म कर डालेंगे या उन सब को मार डालेंगे या निकाल देंगे ? उन से ही आप को काम लेना पड़ेगा । बात यह है कि वह वफादारी से काम करते हैं और सही काम करते हैं । यहां बहस करते करते श्री मुखर्जी ने बहुत से राजाओं के नाम लिये, भावनगर का नाम लिया, हिम्मत सिंह जी का नाम लिया, दिलीप सिंह जी का नाम लिया और जाम साहब का नाम लिया । तो क्या आप का कहना यह है कि राजाओं में भी जो वफादार हैं, जो अच्छे हैं उन का उपयोग न किया जाय । आप जा कर मद्रास में देखिये जहां भावनगर के महाराजा पांच वर्ष तक गवर्नर रहे । क्या आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि वहां कोई स्त्री या पुरुष है जो भावनगर के महाराज के या महारानी के खिलाफ एक शब्द भी कहता हो । उन्हों ने ठीक तरह से काम किया था । तो क्या आप का मंशा है कि उन को मार डालना चाहिये ? ऐसा हमारा मंशा नहीं है यह चीज़ तो हमारे सामने है कि मत देने के लिये तो आप उन का प्रयोग करते हैं । दिल में एक बात रखें और मुंह से दूसरी बात कहें यह हम नहीं करते । हमारे देश में जो वफादार लोग हैं और यदि आप के दिल में भी परिवर्तन हो तो आप को भी इस कानून से कोई खतरा नहीं है । परन्तु यदि किसी के दिल में चोरी हो और हिंसा करने का विचार हो तो फिर चाहे वह कांग्रेस वाला हो या और कोई हो यह कानून सब पर लागू होगा और मेरी विनती है कि उस कानून को ज़रा भी ढीला करने की कोशिश न कीजिये ।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय मैं इसलिए उठा कि मैं भी औरों की तरह एक भाषण दे दूं। मैं तो इस निन्दनीय विधेयक के प्रति, जिसको एक अधिनियम का रूप दिया जाने वाला है, घृणा और विरोध प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमान्, मैं कहता हूं कि यह एक कायरता और अत्याचार का अधिनियम है और इसलिए बनाया गया है क्योंकि सरकार उन लोगों से डरती है, जिनके साथ इसने विश्वासघात किया है और जिन्हें इसने भूका मरने के लिए छोड़ दिया है और जिनकी आवाज यह दबाना चाहती है। यह बार बार दुहराया गया है कि यह अधिनियम किसी विशिष्ट राजनैतिक दल के विरुद्ध नहीं है किन्तु दूसरे पक्ष की ओर से जो भाषण दिये गये हैं, उनसे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि यह साम्यवादी दल को दबाने के लिए बनाया गया है। और यह अधिनियम समाजविरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए नहीं बल्कि विरोधी दलों का दमन करने के लिए है। क्या देश के सामान्य दण्ड अधिनियम इतने कमजोर हो चुके हैं या प्रभावहीन हो चुके हैं कि आपको इतने दमनकारी अधिनियम का सहारा लेना पड़ा है। आप इसके द्वारा केवल शरीर को नहीं अपितु मन या अन्तःकरण को भी निरुद्ध करना चाहते हैं। आप हमें विश्व का साहित्य तो पहले ही पढ़ने नहीं देते, अब हमारे शरीरों को भी, उन लोगों के शरीरों को जो कि अपनी स्वतंत्र राय रखने का साहस करते हैं, जेल में बन्द करना चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि आम जनता तो अनुशासित है। यदि लोग अनुशासित हैं तो आप उनसे समाजविरोधी तत्वों का मुकाबला करने की आशा क्यों नहीं करते? यदि आपको उनमें विश्वास है, तो निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता ही क्या है? यह स्पष्ट है कि लोगों को इस अधिनियम से बहुत घृणा है। यदि सदस्यों से गुप्त रूप से मत लिया जाय, तो आपकी आंखें खुल जायेंगी।

एक गलत धारणा यह भी प्रचलित है कि साम्यवादियों के पास शस्त्र होते हैं। मैं सदन का ध्यान इस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं कि केवल दो सप्ताह पूर्व भद्र देव, अध्यक्ष नालगोड़ा कांग्रेस समिति को गिरफ्तार किया गया और उससे बन्दूकें गोला-बारूद, पिस्तौल और दस्ती बम बरामद किये गये थे। क्या उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है? नहीं। उसे न्यायालय में साधारण मुकदमा लड़ने की आज्ञा दी जायगी। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछता हूं कि हर पग पर यह विभेद क्यों है? मैं माननीय प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करने के बजाय, लोगों को केवल ६ मास की अवधि दें। फिर वे देखेंगे कि सारा भारत पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में सहयोग देगा, लोगों को फिर आप में विश्वास पैदा होगा और आप देखेंगे कि यह योजना चार या तीन वर्षों में ही पूरी हो जाती है।

डा० काटजू: उपाध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद बहुत लम्बा हो गया है। यदि विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा किये गये भाषणों का विश्लेषण किया जाय और उन में से गृह-मंत्री की तीव्र निन्दा और स्वतन्त्रता के रक्षकों के स्तुति गानों को निकाल दिया जाय, तो बाकी कुछ भी नहीं रह जाता है। मैं दिल्ली में और इस सदन में नया नया आया हूं किन्तु मुझे ऐसा होने की आशा नहीं थी। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है। जितने भी विशेषण सूझ सकते थे, उन सब का प्रयोग किया गया है और मुझे ऐसे चित्रित किया गया है मानो मैं कोई दैत्य हूं, जिसने कोई अपूर्व और अविचारणीय बात कर दी है।

मुझे सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों से, जिन्होंने अपनी बाहें दिखलाई हैं और विरोध के समय के कष्टों का वर्णन किया है, पूरी सहानुभूति है। मुझ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। निस्सन्देह हमने बहुत कष्ट उठाये हैं। १९४२ में, जब मैं निरुद्ध था, मुझे आठ महीने तक एक भी पत्र नहीं प्राप्त हुआ था और मैंने किसी से भेंट नहीं की थी। अतः मुझे सहानुभूति है और डा० मुखर्जी ने मुर्शिदाबाद की घटना के बारे में जो कुछ कहा है उससे मुझे बहुत खेद हुआ है।

मेरा ख्याल था कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। लोग जेलों में थे और बाहर से उन्हें कोई मिलने के लिए नहीं आता था। जब मैंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की तो अधीक्षकों और जेलरों ने मुझे रोकने की चेष्टा की। किन्तु मैंने कहा कि वहां जाना और देखना कि वे वहां किस तरह रह रहे ह, मेरा कर्तव्य है।

१२ मध्यान्ह

मैंने जब जेल में प्रवेश किया तो दस मिनट तक तो वे मुझसे बोले नहीं। मैंने उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कहा कि आपके निरोध के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यह निर्णय मंत्रियों ने किया है, मैंने नहीं किया। मैं तो यह देखने आया हूं कि आप कैसे रह रहे हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति में शिकायतें की गई थीं कि वहां बहुत सख्ती होती है, इन्टरव्यू और पत्रों की आज्ञा नहीं है। बंगाल में जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे सदन को बतलाना मैंने उचित समझा था। इसमें हास्य का प्रश्न ही नहीं था और मैंने जो कुछ देखा वह आपको सही सही बतला दिया था। मैं एक बात आपको बतलाना भूल गया था। वह यह थी कि बंगाल की सरकार ३ रुपये के अतिरिक्त ४० रुपये का मासिक भत्ता देती है और बाहर रहने वाले लोगों की हालत से तुलना करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि जहां तक उनके शारीरिक जीवन का सम्बन्ध है, उनका भरण पोषण ठीक तरह से नहीं हो रहा। मैं प्रत्येक स्थान पर गया और एक पुराने मित्र श्री मुजफ्फर अहमद से भी मिला। बहुत लोगों से वार्ता की। दो नवयुवकों से जो बी० ए० या ऐम० ए० की परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते थे मैंने पूछा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। उन्होने पुस्तकों की मांग की और मैंने राज्यपाल की स्वेच्छा निधि से उन्हें ३०० रुपये की पुस्तकें भेजी।

मैं तीन वर्ष तक अपने सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार बंगाल के लोगों की सेवा करने का प्रयत्न करता रहा।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान्, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बंगाल के लोग डा० काटजू को बहुत चाहते हैं। किन्तु एक गलतफहमी पैदा हो गई है। जो कुछ उन्होने नजरबन्दों के लिए किया है, बंगाल में सब लोग जानते हैं। किन्तु हमें दुःख इस बात से हुआ जब उन्होने कहा कि वहां स्थिति बहुत अच्छी है, यह एक स्वतन्त्रता भवन के समान है और लोग अपना स्थान छोड़कर भी वहां जाना चाहेंगे। यह कोई उचित तरीका नहीं था।

इसमें सन्देह नहीं कि बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने वहां बहुत काम किया है और वहां वे सब वर्गों के लोगों में लोकप्रिय थे।

डा० काटजू : मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं और सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रश्न को लेता हूं। १९४६ से १९५० तक जो कुछ हुआ है, उसके बारे में शिकायतें की गई हैं। सरकार सामूहिक रूप से सब चीजों के लिए उत्तरदायी है और मेरे माननीय मित्र भी इसमें सम्मिलित थे। निवारक निरोध अधिनियम १९५० में पास किया गया था

[डा० काटजू]

और इसे पास करने में केवल चार घंटे लगे थे। १९५१ में इसे संशोधित किया गया था। उस समय मेरे माननीय मित्र मंत्रि-मंडल में नहीं थे किन्तु १९५० में थे। मेरा निवेदन है कि उनके लिए इस आधार पर अपने आपको उत्तरदायित्व के लिए मुक्त कर लेना उचित नहीं है।

चूंकि माननीय प्रधान मंत्री ने इस अधि-नियम की पृष्ट भूमि बतला दी है, इसलिए मेरा काम बहुत हलका हो गया है। इस समय हम एक सामाजिक क्रान्ति में से गुजर रहे हैं और यह केवल युद्ध का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक दिन प्रातः मुझे दो या तीन तार प्राप्त होते हैं, जिनमें किसी न किसी स्थान पर अरा-जकता की शिकायत होती है। कल ही मुझे पटियाला से एक तार मिला जिसमें कहा गया है कि "साम्यवादी गांवों में आंतक फैला रहे हैं और जीवन सुरक्षित नहीं है, सुना है कि आप आ रहे ह; हम आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहते हैं"। हमें सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि पंजाब और पैप्सू में नामी व्यवित घूम रहे हैं। और वे कोई शरीफ आदमी नहीं हैं। उन के पास शस्त्र हैं और जरा सी उत्तेजना पर भी वे इनका प्रयोग करने से नहीं चूकते। उन का तरीका यह है कि जैसा तेलंगाना में किया गया है, यहां भी ऐसा ही किया जाय, सशस्त्र गुरिल्ले जो चाहें करें और यदि उन्हें कोई रोके, तो उसे गोली से उड़ा दें।

उत्तर प्रदेश में एक भारी सामाजिक क्रान्ति हुई है। ज़मींदारी प्रथा हटा दी गई है। यह सब ठीक है किन्तु यह एक बहुत बड़ा प्रांत है और लगभग ७ लाख लोग भमि से वंचित हो गये हैं। उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनके पास कोई साधन नहीं है। उनमें सब प्रकार की विचार-धारायें फैलाई जा सकती हैं। कोई लोग ऐ से हैं जो अलीगढ़ जाकर प्रचार करते हैं कि उर्दू उत्तर प्रदेश की भाषा होनी चाहिए और बनारस जाकर यह प्रचार करते हैं कि हिन्दी उत्तर प्रदेश की भाषा होनी चाहिए। कुछ दिन पूर्व मैंने पढ़ा कि कुछ कृषक उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में गये और जमींदारों के, जो कि साहूकार भी होते हैं, बन्ध पत्र और प्रतिज्ञा-अर्थ पत्र जलाने लगे। ज़मींदारों ने विरोध किया तो दंगे हुए और गोलियां चलीं; दो व्यक्ति मारे गये और सारे ग्राम को जला दिया गया। प्रधान मंत्री ने इस विध्वंसकारी शक्तियों का वर्णन किया था। जैसा कि मैंने कहा था हम एक शान्त सामाजिक क्रान्ति में से गुज़र रहे हैं और क्रान्ति के समय नरमी से काम नहीं हो सकता।

हमारी बहुत निन्दा की गई है। कहा गया कि हमारा बहुमत पाशाविक है किन्तु अल्पसंख्यक के सुझाव बहुत रचनात्मक हैं और वह सहायता देने और सुधार करने के लिए बहुत उत्सुक हैं परन्तु हम ने उसे कुचल दिया है। क्या सदन को ९ जुलाई का दिन याद नहीं है जब एक ऐसी घटना हुई जो संसद् के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई—अर्थात् जब मैंने इस विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। उस समय डा० मुखर्जी उठ खड़े हुए थे और उन्होने कहा था कि वे इसका घोर विरोध करते हैं और इसे पुनः स्थापित नहीं होने देंगे। उस समय विभाज़न हुआ था और इस विभाजन में वे सब सदस्य सम्मिलित थे जो कि अब विधेयक को सुधारना चाहते हैं। अब आप सोचिये कि इस रवैये से क्या लाभ होगा? ९ जुलाई से ४ अगस्त तक, इन तीन या चार सप्ताहों में मेरे माननीय मित्रों का यही रवैया रहा है।

एक और बात भी उल्लेखनीय है। कहा गया है कि हमने कोई भी रचनात्मक सुझाव स्वीकार नहीं किया। यह विधेयक या अधिनियम १९५० में अधिनियमित किया

गया था और गत वर्ष संशोधित किया गया था। चर्चा छः दिन तक होती रही थी। प्रत्येक उपबन्ध का परीक्षण किया गया था और संशोधन प्रस्तुत किये गये थे। हमने सब सुझावों पर विचार किया था और मेरे माननीय पूर्वाधिकारी राजा जी ने बहुत से संशोधन स्वीकार भी कर लिए थे। जब हम वर्तमान विधेयक का प्रारूप तैयार करने लगे थे, तो हमने उन सब दृष्टिकोणों को जिन पर १९५१ में सदन में चर्चा हुई थी ध्यान में रखा था। हमने ठीक या गलत एक निर्णय किया था परन्तु किसी बात की उपेक्षा नही की थी और बहुत से सुधार भी किये थे।

१९५१ में मेरे माननीय मित्र डा० मुखर्जी ने कहा था कि संशोधक विधेयक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे परिवर्तन करता है और इस बात पर संतोष प्रकट किया था कि अब सब मामले मंत्रणा बोर्ड के सामने उपस्थित किये जा सकेंगे और इनमें वे मामले भी सम्मिलित होंगे जिनमें व्यक्तियों को तीन मास से कम अवधि के लिए निरुद्ध किया गया हो। उस समय तो मंत्रणा बोर्ड कुछ अच्छा था, किन्तु अब यह व्यर्थ हो गया है। उन्होने पैरोल पर रिहा करने के उपबन्ध पर भी सन्तोष प्रकट किया था और सरकार को इन संशोधनों पर बधाई दी थी। परन्तु अब उन्होंने बधाई वापस ले ली है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि और संशोधन भी स्वीकार कर लिए जायें, तो मैं सरकार को फिर बधाई देने के लिए तैयार हूं।

डा० काटजू : मैं इसे सदन पर छोड़ता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान् मैं एक बात पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यदि माननीय गृह मंत्री मेरे पहले भाषण को जो मैंने गत वर्ष इस सम्बन्ध में दिया था, पढ़ें. तो वे देखेंगे कि उस समय भी मेरा रवैया वही था जो कि आज है अर्थात् सरकार को पहले यह सिद्ध करना चाहिए कि इस विधेयक का जारी रखना आवश्यक है और यदि इसको जारी रखा जाना है तो पर्याप्त सुरक्षणों की व्यवस्था होनी चाहिए।

डा० काटजू : एक अन्य महत्वपूर्ण मामला यह है कि क्या निवृत्ति न्यायाधीश या भावी न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश इस बोर्ड के सदस्य होने चाहियें। इस सम्बन्ध में डा० मुखर्जी ने गत वर्ष यह कहा था कि बोर्ड में भावी न्यायाधीश नहीं बल्कि वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होने चाहिये। १९५१ में फ़रवरी के महीने में भूतपूर्व न्यायधीशों को लेना वे उचित समझते थे और मंत्रणा बोर्ड भी एक विश्वसनीय संस्था थी, किन्तु अब उनकी स्थिति बदल गई है और उनका कोई सम्मान नहीं है।

मैंने प्रवर समिति में कहा था कि हमारे मंत्रणा बोर्ड, जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश, वर्तमान जिला तथा सत्र-न्यायाधीश, निवृत्त जिला तथा सत्र-न्यायाधीश सम्मिलित हैं, पूर्णतया समर्थ निकाय हैं और वे मामलों को अच्छी तरह निपटा रहे हैं। मैंने समिति के समक्ष एक विवरण रखा था जिससे पता चलता है कि ४४०० मामलों में से २८ प्रतिशत मामलों पर बोर्डों ने निरोध आदेश की पुष्टि करने से इन्कार कर दिया था, जिसके फलस्वरूप नजरबन्दों को रिहा कर दिया गया था। ७२ प्रतिशत मामलों में निरोध के आदेश को पुष्टि कर दी गई थी। अतः मैं कह सकता हूं कि मंत्रणा बोर्डों में अनुभवी न्यायाधीश और वकील सदस्य होते ह। सामग्री उनके सामने रख दी जाती है। और अधिनियम में कहा गया है कि उस सामग्री के अतिरिक्त जो कि सरकार उनके पास भेजेगी, मंत्रणा बोर्ड को यह अधिकार ह कि वे सम्बन्धित व्यक्ति से या सरकार से कोई भी जानकारी जिसकी

[डा० काटजू]

उसे आवश्यकता हो मंगवा सकता है। और ऐसा किया गया है।

माननीय सदस्यों ने कानूनी सहायता, उपस्थित होने, जांच करने और परिप्रश्न करने के अधिकार के बारे में पूछा है। उन्होने कहा है कि अन्यथा नज़रबन्द अपनी सफ़ाई नहीं दे सकेंगे। इस सम्बन्ध में मैं श्री मोरीसन, ब्रिटेन के गृह मंत्री के वक्तव्य का उद्धरण देना चाहूंगा। उन्होने कहा है : "स्वतंत्रता यही है क्योंकि मैं यह कहने का साहस करता हूं कि कोई वकील मंत्रणा बोर्ड के सामने जो कि बन्द कमरे में मामले की परीक्षा कर रहा होगा, वकालत करना स्वीकार नहीं करेगा। वहां कोई साक्ष्य अधिनियम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई परिप्रश्न नहीं होगा, अतः वकील अपने आपको एक बिल्कुल विचित्र स्थिति में पायेगा।" इसके अतिरिक्त एक और बात यह है कि यदि आप नज़रबन्द को वकील करने की आज्ञा देते हैं तो राज्य सरकारें भी अपने लिए वकील करना चाहेंगी। ऐसा करने से एक इस्तगासे का वकील होगा एक सफ़ाई का होगा और न्यायालय का वातावरण पैदा हो जायगा।

नज़रबन्दों को इन्टरव्यु की सुविधा देने के बारे में मैं नहीं जानता कि नियम क्या हैं। मैं राज्य सरकारों को सुझाव दूंगा--क्योंकि इसका सम्बन्ध उन से है--कि यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो, वे नज़रबन्द को इन्टरव्यु की सुविधा दें, ताकि उसे अपना अभ्यावेदन तैयार करने में सुविधा मिल सके।

अगली बात यह है कि ज़िला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट पर बहुत आपत्ति की गई है। यह शंका प्रकट की गई है कि : "ज़िला मजिस्ट्रेट तो सब को निरुद्ध करने के आदेश जारी कर देगा और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायगी।" अतः मैंने बंगाल से जानकारी मंगवाई कि १९५१ में और १९५२ के पहले ६ महीनों में राज्य सरकार ने स्वयं कितने और ज़िला मजिस्ट्रेटों ने कितने निरोध आदेश जारी किये हैं। जो तार मुझे मिला है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राजनैतिक मामले में राज्य सरकार स्वयं आदेश जारी करती है और ऐसे आदेश १९५१ में १२० थे। ज़िला मजिस्ट्रेट ने राजनैतिक दलों के सदस्यों के विरुद्ध नहीं बल्कि अनुचित संग्रह करने वालों अनुचित लाभ कमाने वालों के विरुद्ध और अन्य समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध आदेश जारी किये थे। मुझे सूचना दी गई है कि उन्होने ऐसे २० आदेश जारी किये थे। पिछले ६ मासों में राज्य सरकार ने ५४ और ज़िला मजिस्ट्रेटों ने २४ आदेश जारी किये। मद्रास में १२ आदेश जारी किये गये थे और यह सब के सब राज्य सरकार ने किये। अतः हमें इस मामले को ठीक प्रकार से देखना चाहिए। मैं अपने पदाधिकारियों की निन्दा नहीं करना चाहता। मेरे विचार में इन दिनों कोई भी ज़िला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से परामर्श किये बिना और उससे अनुदेश लिए बिना कदम नहीं उठाता होगा। केवल आपत्तिकाल में ही ज़िला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार पग उठाते हैं, जैसा कि १२० और २० के आंकड़ों से सिद्ध होता है। ये पदाधिकारी सब उत्तरदायी पदाधिकारी होते हैं और उनकी कार्यवाही को १२ दिनों में या इससे भी कम समय में ठीक किया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल और मद्रास में सामान्यतया राज्य सरकार ही कार्यवाही करती है। बम्बई के बारे में, जहां पर गुंडे होते हैं, मैं नहीं कह सकता। कुछ माननीय मित्रों ने यह सुझाव दिया है कि अधिनियम की शक्ति घटा दी जाय और केवल राज्य की सुरक्षा और देश की रक्षा सम्बन्धी उपबन्ध ही इसमें रहने दिये जायें उनका कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था, समाजविरोधी कार्यवाहियों और सारभूत

प्रदायों के बारे में सब उपबन्ध हटा देने चाहिएं। यदि ऐसा कर दिया जाय, तो शेष क्या रह जाता है ? युद्ध की स्थिति ? प्रधान मंत्री न और मैंने भी इस मामले की चर्चा की है । किन्तु प्रश्न यह है कि यदि इरादा यह होता कि इन अधिकारों का प्रयोग युद्धकाल में केवल इस सीमित क्षेत्र में किया जाना है, तो संविधान में ऐसा कहा गया होता । आप देखेंगे कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निवारक निरोध अधिनियम सार्वजनिक सुव्यवस्था, सारभूत प्रदाय और सेवाओं को बनाये रखने के प्रयोजनों के लिए बनाये जा सकते हैं । चंकि संविधान में यह उपबन्ध है, इसलिए स्पष्ट है कि संसद् या संविधान सभा ने यह अनुभव किया था कि भारत की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, और दण्ड विधान संहिता के होते हुए भी, सार्वजनिक सुव्यवस्था, समाज-विरोधी कार्यवाहियों और विदेशों के साथ सम्बन्ध रखने के विषयों के लिए निवारक निरोध अधिनियम लागू करना वांछनीय है।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंत्रणा बोर्ड के सामने जो जांच या परीक्षा होती है, वह न्यायालय के मुकदमे की तरह नहीं होती क्योंकि न तो कोई गवाह बुला सकता है और न ही उनकी परीक्षा की जा सकती है । परिप्रश्न भी नहीं किया जा सकता । यदि सदन का आदेश यह है कि न्यायालय का मुकदमा होना चाहिए, तो मैं इस विधेयक को तत्काल फ़ाड़ देना अच्छा समझूंगा । १९५१ में इस मामले पर सदन में सविस्तर चर्चा हुई थी और सदन ने इसे स्वीकार नहीं किया था । इस विधेयक प्रारूप तैयार करते समय भी हमने इस पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थ कि यह वांछनीय नहीं है ।

अब एक और छोटी सी बात यह है । अधिनियम में कहा गया है कि मंत्रणा बोर्ड इसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर मामले पर विचार करेगा, किन्तु अब यह सदा नजरबन्द को उसके सामने उपस्थित होने का अवसर देगा और वह सम्बन्धित सरकार से जो भी अग्रेतर जानकारी चाहे ले सकेगा । मैं समझता हूं कि इसको भाषा बहुत विशाल है । यदि आप चाहते हैं तो यह स्पष्ट किया जा सकता है कि बोर्ड राज्य सरकार के द्वारा नजरबन्द से कोई वक्तव्य मंगवा सकता है और उसे उपस्थित होने के लिये कह सकता है किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि वह एक गवाह के रूप में उपस्थित नहीं होगा । बोड की इच्छा पर ही उसकी परीक्षा हो सकेगी । प्रश्न उठाया गया है कि यदि सरकार ने आदेश का पालन न किया तो क्या होगा ? मैं कहता हूं कि प्रत्येक सरकार मंत्रणा बोर्ड की हर संभव मांग को पूरा करेगी क्योंकि उसे इस बात की चिन्ता होगी कि बोर्ड के सामने उसका रिकार्ड साफ़ हो और कोई मुकदमा न चल सके ।

दो और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये थ और उनमें से एक दो वर्ष की अवधि के बारे में था । राजाजी के इस विधेयक को पांच या छः दिनों में पारित करवा लिया था । मैं भी आज गिन रहा था कि मुझे कितना समय लगा है । मैंने अनुमान लगाया है कि इसे पारित कराने में संसद् के २० या २५ दिन लगेंगे और प्रत्येक मिनट का व्यय लगभग ९० रुपये है । इसीलिए हमने सोचा कि हम इसे दो वर्ष के लिए रखेंगे और यह सुविधा देने की भी व्यवस्था की कि किसी व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक समय के लिए निरुद्ध नहीं किया जायगा। किसी ने यह सुझाव दिया है कि अवधि घटा कर एक वर्ष कर दी जाय क्योंकि हम इस पर पुनः विचार करना चाहेंगे । इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव यह है । सरकार निरन्तर यह देखती रहेगी कि स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही है क्या यह बिगड़ रही है या इसमें सुधार हो

[डा० काटजू]

रहा है। किन्तु नवम्बर १९५३ के मास में, सरकार औपचारिक रूप से इस मामले पर विचार करेगी कि क्या वह विधेयक को लागू रखेगी या इसे अप्रयोजनीय बना देगी या इसका निरसन करने के लिए एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगी। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसे इसको जारी रखना है, तो वह इस सदन में और दूसरे सदन में एक सरकारी संकल्प प्रस्तावित करेगी, जिस पर दोनों सदनों को अपनी राय प्रकट करने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा। विधेयक के सिद्धान्तों पर, लोकतंत्रात्मक परम्पराओं पर, बिना मुकदमा चलाये निरुद्ध करने के कष्टों पर पिछले तीन वर्षों में सविस्तर चर्चा हो चुकी है। उस समय प्रश्न केवल यह प्रश्न होगा कि क्या अधिनियम को जारी रखना न्यायोचित है। मैं नहीं चाहता कि सैकड़ों संशोधनों में से, जिनकी सूचना दी गई है, प्रत्येक को दुहराने की प्रक्रिया अपनाई जाय। और यह आवश्यक नहीं कि संकल्प सरकारी हो। आप गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तावित कर सकते हैं। विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए, सदन के नेता से समय निश्चित करने के लिए कह सकता है। आप केवल ३ मासों के बाद भी उनसे कह सकते हैं। यह विरोधी का अधिकार है।

अब मैं अन्तिम बात को लेता हूं। पूछा गया है कि हम इसे समस्त भारत पर क्यों लागू करते हैं और इसे खंडशः क्यों लागू नहीं करते। मैंने इस स्थिति की जांच करवाई है और कहा जाता है कि वह स्थिति पूर्णतः वैधानिक नहीं होगी क्योंकि यह समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम बना सकती हैं। ठीक या गलत, प्रत्येक राज्य सरकार निवारक निरोध अधिनियम चाहती है। वे कहेंगे: "आप ने यह विधि बनाई है और आपने इसे केवल सौराष्ट्र और राजस्थान पर लागू किया है, हम पर लागू नहीं किया। इस अधिनियम की मान्यता के प्रश्न के अतिरिक्त हम स्वतन्त्र हैं और हम स्वयं कानून बनायेंगे।" यदि उनके विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा होगा, तो वे एक अध्यादेश जारी करेंगे। उन पर कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि जहां तक उनका सम्बन्ध है, संसद् ने कोई अधिनियम पारित नहीं किया। कठिनाई तो यह है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उस अवस्था में यह होगा कि यदि कोई राज्य सरकार इस किसम का कानून बनाना चाहेगी, तो अवश्य इस मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगी। यदि वह अपने आप ही बनाना चाहे, तो जिम्मेदारी उसी की होगी।

डा० काटजू : चूंकि दोनो पक्षों को अधिनियम बनाने का अधिकार है, हम इस अधिनियम को एक राज्य पर लागू करने परन्तु दूसरों पर लागू न करने का उत्तरदायित्व क्यों अपने ऊपर लें। हमारी प्रबल इच्छा यह है कि निवारक निरोध विधान एक रूप आधार पर होना चाहिए, यथासंभव अधिक से अधिक न्यायोचित होना चाहिए और प्रत्येक राज्य पर लागू होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण वैधानिक कठिनाइयों के अतिरिक्त बहुत सी प्रशासनीय कठिनाइयां भी हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में भाग जाये, तो क्या किया जायेगा। उदाहरणतया यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में डाका डाल कर अजमेर भाग जाता है, तो उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। इन सब मामलों का सम्बन्ध क्षेत्राधिकार से है।

मैं लगभग सभी बातों की चर्चा कर चुका हूं। अन्तिम बात यह है कि एक धारा के अन्तर्गत राज्य सरकारें संधारण, अनुशासन आदि के सम्बन्ध में नियम बना सकती हैं।

इस विषय में कुछ राज्य सरकारें उदारता से काम लेंगी और कुछ अनुदारता से। किन्तु मैं उन्हें यह सलाह देने के लिए तैयार हूं कि अधिक से अधिक उदारता से काम लें। मैं जानता हूं कि उन नज़रबन्दों को जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता हो, परिवार भत्ता दिया जाता है। मैंने बहुत से जेल देखे हैं और मुझे अभियुक्त व्यक्तियों से पूरी सहानुभति रही है। कई तो आठ महीनों से निरुद्ध थे। इनके मामलों में परिवार भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

अब मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित, निवारक निरोध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होगी।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये साढ़े तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक साढे तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अध्यक्ष महोदय : सदन अब निवारक निरोध विधेयक पर खंडशः विचार करेगा।

खंड २—(धारा १ में संशोधन)

श्री क० क० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ एक में पंक्ति ६ से ८ तक के स्थान पर "निवारक निरोध अधिनियम १९५० की (इसके पश्चात् जिसका मुख्य अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) धारा १ की उपधारा (२) में" आदिष्ट कर दिया जाये :

> "निवारक निरोध अधिनियम १९५० की (इसके पश्चात् जिसका मुख्य अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) धारा १ की उपधारा (२) में और उप धारा (३) में 'the whole of India' ('सम्पूर्ण भारत') इन शब्दों के स्थान पर 'the whole or part of India as may be notified' ('सम्पूर्ण या भारत का कोई अंश जैसा भी अधिसूचित किया जाये') आदिष्ट कर दिया जायगा।"

पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा हुई है, उसके दौरान में माननीय प्रस्तावक ने यह सिद्ध नहीं किया कि सारे भारत में ऐसी स्थिति पाई जाती है जिसके कारण इस अधिनियम को जारी रखना आवश्यक है। भारत के कुछ भागों में, विशेषतया पश्चिमी सौराष्ट्र में ऐसो स्थिति है। अन्य भागों में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और गत तीन या चार मासों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। बंगाल के बारे में मैं अपना अनुभव बतला सकता हूं। गृह मंत्री ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में ५५ या ६० नजरबन्द हैं, जो कि भारत के क्रान्तिकारी साम्यवादी दल के सदस्य हैं और जो माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के अनुसार हिंसा में विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि दो वर्ष पूर्व उन्होंने कोई हिंसात्मक कार्यवाही की हो, जिसे समाजविरोधी कहा जा सकता है। किंतु गत एक वर्ष से उनकी ओर से सारे बंगाल में कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिसके कारण उन्हे समाजविरोधी कहा जा सके।

इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि इस प्रकार का अधिनियम रखना भी है, इसे सारे भारत पर लागू न किया जाय। यह बात सरकार

[श्री के० के० बसू]

पर छोड़ देनी चाहिये कि देश के जिस भाग में इसकी आवश्यकता हो, वहां इसे लागू कर दिया जाये। मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

पृष्ठ १ में पंक्ति ६ से आठ तक के स्थान पर "निवारक निरोध अधिनियम १९५० की (इसके पश्चात् जिसका मुख्य अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) धारा १ की उपधारा (३) में" आदिष्ट कर दिया जाये :

"निवारक निरोध अधिनियम १९५० की (इसके पश्चात् जिसका मुख्य अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) धारा १ की उपधारा (२) में और उपधारा (३) में 'the whole of India' ('सम्पूर्ण भारत') इन शब्दों के स्थान पर 'the whole or part of India as may be notified' ('सम्पूर्ण या भारत का कोई अंश जैसा भी अधिसूचित किया जाये') आदिष्ट कर दिया जायेगा"।

डा० एस० पी० मुखर्जी उठे--

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री अपने विचार प्रकट करें।

डा० एस० पी० मुखर्जी : विरोधी पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया है कि अधिनियम में एक उपबन्ध यह हो कि इसे सारे भारत पर या उन भागों पर जिनके बारे में सरकार निर्णय करे लागू किया जा सके। माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा करने से दो प्रकार की--पहली वैधानिक और दूसरी प्रशासनीय--कठिनाइयां पेश आयेंगी। किन्तु मैं ऐसे अधिनियमों को उद्धृत कर सकता हूं जिनमें सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन्हें सारे देश पर या उसके किसी भाग पर लागू कर सकती है। इस प्रकार के उपबन्ध के दो उद्देश्य हैं। यह बात तो हम अनुभव करते हैं और प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री ने भी अपने भाषणों में इसको स्वीकार किया है कि देश के हालात सुधर गये हैं और इस प्रकार के अधिनियम को समस्त देश पर लागू करने का आज कोई कारण नहीं है। अब आपात काल नहीं रहा जैसा कि १९५० में था। ऐसे उपबन्ध को पारित करने से सारे देश पर बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और यह धारणा प्रचालित होगी कि सरकार वास्तव में देश में साधारण विधियों द्वारा शासन करना चाहती है और केवल उन क्षेत्रों या राज्यों में इस असाधारण कानून को लागू करेगी, जिनमें वस्तुतः इसकी आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि राज्य विधान मंडलों में भी इन मामलों पर चर्चा की जाय। सही तो यह है कि देश में नज़रबन्दी के सब मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी नहीं है, बल्कि राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब सब मामलों की सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी पड़ेगी। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये और राज्य विधान-मंडलों में भी समय समय पर चर्चा हो, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर उस विशिष्ट राज्य के लोग और राजनैतिक दल भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट कर सकेंगे। राज्य सरकार पर भी इस प्रकार के विधान को लागू करने और इसे न्यायोचित ठहराने का उत्तरदायित्व पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे इस संशोधन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इसे स्वीकार करें। इससे कोई वैधानिक या प्रशासनीय कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार के असाधारण अधिनियम को स्वच्छन्द रूप से समस्त भारत पर लागू करने पर भी अवश्य कुछ न कुछ प्रतिबन्ध रहेगा।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : श्रीमान् मेरे पास एक संशोधन (संख्या ६८) है। यद्यपि यह खंड १ में है, तथापि यह उसी प्रकार का है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सार का सम्बन्ध है इसमें और पहले में कोई भेद नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : जी हां, किन्तु इसकी भाषा भिन्न है। मुझे बोलने की आज्ञा दी जाये।

एक माननीय सदस्य : क्या वे इसे प्रस्तावित नहीं कर रहे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह पहले संशोधन में आ जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं इस संशोधन पर एक दो बातें कहना चाहता हूं। वादविवाद के दौरान में सौराष्ट्र हैदराबाद और राजस्थान के उदाहरण बार बार दिये गये हैं और कहा गया कि वहां हालात साधारण नहीं हैं और एक असाधारण उपाय करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि देश के किसी भाग में हालात खराब हों, तो शेष भागों में भी वही अधिनियम लागू कर देना न्यायोचित नहीं है। मैं डा० मुकर्जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह सिद्ध होगा कि यह एक आपातिक अधिनियम है और हमारे साधारण कानूनों का भाग नहीं है। पहले अवसरों पर यह स्पष्ट किया गया है कि हालात ठीक हो जाने पर इस अधिनियम को जारी रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं कि स्थिति बहुत हद तक सुधर गई है और इसे उन क्षेत्रों तक ही सीमित रखना चाहिए, जहां इसकी आवश्यकता हो और इसे सारे भारत पर लागू नहीं करना चाहिए।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मेरे नाम संशोधन संख्या ३९ है जो सूची ३ में ह।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक संशोधन को बारी बारी लिया जायेगा।

डा० काटजू : अध्यक्ष महोदय, हमने इस मामले पर बहुत सावधानी से विचार किया है और कानूनी सलाह भी ली है।

इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि आप इस अधिनियम को विशिष्ट क्षेत्रों या किसी विशिष्ट राज्य पर लागू करें और यह बात केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दें कि वह जिन राज्यों में इसे बढ़ाना उचित समझे, वहां इसे लागू कर दे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस विधेयक को हाथ में लेने से पूर्व, हमने प्रत्येक राज्य से राय ली थी और प्रत्येक राज्य ने यह राय प्रकट की थी कि निवारक निरोध अधिनियम को जारी रखना आवश्यक है। दूसरी प्रशासनीय कठिनाई यह है कि इस समय कुछ राज्यों में कोई व्यक्ति निरुद्ध नहीं है। कुछ अन्य राज्यों में, जहां हाल के महीनों में कोई कार्यवाही नहीं की गई, कुछ व्यक्ति निरुद्ध हैं। परिणाम यह होगा कि यदि यह अधिनियम इन राज्यों पर लागू न किया गया, तो १ अक्तूबर को उन व्यक्तियों को रिहा करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार की राय में वे खतरनाक व्यक्ति हों। प्रशासनीय कठिनाई तो अब भी अनुभव की जा रही है। अजमेर में डाका डालने वाले लोग राजस्थान में चले जाते हैं। राजस्थान में अपराध करने वाले मध्यभारत और पास के राज्यों में चले जाते हैं। इस तरह से लोग कानून की जद से बच सकते हैं।

इस अधिनियम के पारित होने के बाद, प्रत्येक राज्य सरकार से कहा जायेगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श ले लिया जाये। राज्य सरकारों पर हमें आवश्यक सूचना भेजने का अनुविहित आभार भी है। इन सब बातों के अतिरिक्त पुरानी धारा १३ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को नजर-

[डा० काटजू]

बन्द को तत्काल रिहा कर देने का अधिकार है। अतः मैं समझता हूं कि इन दो धाराओं के कारण सब राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगी। देश में शान्ति बनाये रखना वास्तव में राज्य सरकारों का काम है। यह अधिनियम दो वर्षों से लागू है और आज भी लागू है। इसलिये मेरे लिए यह उचित नहीं होगा यदि मैं सहसा यह घोषणा कर दूं कि अमुक राज्यों पर अधिनियम लागू नहीं रहेगा और उन राज्यों को दुविधा में डाल दूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों के लिये आश्वासन काफी होगा कि उन क्षेत्रों में जहां हालात बिल्कुल साधारण हैं हम प्रत्येक राज्य से उसकी राय पूछेंगे और फिर इसके अनुसार उसे कार्यवाही करने देंगे।

डा० एस० पी० मुखर्जी: श्रीमान् क्या मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मन्त्री ने जो कुछ अभी कहा है, वह पर्याप्त नहीं है। हमने जो सुझाव दिया है, उसके अनुसार भारत सरकार शुरू से इस अधिनियम को आवश्यकता पड़ने पर सारे भारत में लागू कर सकती है। किन्तु, वह बाद में राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् किन्हीं क्षेत्रों से इसे हटा सकती है। इससे जनता को पता लगेगा कि इस अधिनियम को सदा के लिये सारे भारत पर लागू करना सरकार का इरादा नहीं है।

वैधानिक कठिनाइयों के बारे में, माननीय गृह मन्त्री का ध्यान अनुच्छेद २५४ की ओर दिलाता हूं। इस अधिनियम और इस प्रकार के किसी राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम में असंगति होने की सम्भावना नहीं है। यदि राज्य विधान मण्डल कोई विधान बनाता है और यदि इसमें कोई उपबन्ध केन्द्रीय अधिनियम के प्रतिकूल हो, तो केन्द्रीय अधिनियम ही उस समय पर लागू होगा।

डा० काटजू: मैं वैधानिक पहलू नहीं समझ सका। इसकी वैधानिक सक्षमताएं तो डरा देने वाली हैं।

४ म० प०

डा० एस० पी० मुखर्जी: मैं तीन ऐसे संसदीय अधिनियम लाया हूं जिन में इस प्रकार के उपबन्ध किये गये हैं और जिनके कारण कोई वैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हुईं।

अध्यक्ष महोदय: क्या ये समवर्ती सूची में दिये गये विषयों के बारे में है?

डा० काटजू: उपबन्ध यह है कि यदि यह किसी ऐसे कानून के प्रतिकूल हो, तो राज्य सरकार अधिनियम नहीं बना सकेगी, उसका अधिनियम निरर्थक होगा और उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी; मैं ने जो आश्वासन दिया है, उससे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। यह अधिनियम का अंग नहीं है परन्तु संसद् के शासकीय वृत्तांत का अंग तो है। इस अधिनियम के पारित होते ही भारत सरकार सब राज्य सरकारों को लिखेगी और उनमें से कुछ सरकारों से यह कहेगी "आप का रिकार्ड साफ है, प्रतीत होता है कि आपको इस अधिनियम की ज़रूरत नहीं; अतः हम से परामर्श किये बिना आप निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कोई पग न उठायें और आप हमें बतलायें कि आप किस कारण यह समझते हैं कि स्थिति बदल गई है।" इसका अर्थ यह है कि अधिनियम तो मौजूद है किन्तु केन्द्रीय सरकार से परामर्श किये बिना इसके अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): मान लीजिये कोई राज्य सरकार केन्द्रीय

सरकार की बात नहीं मानती, तो इस अधिनियम में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि राज्य सरकार को रोक सके। अतः इसके फलस्वरूप राज्य में बहुत गड़बड़ हो सकती है और इसका प्रभाव निकटवर्ती राज्यों पर भी पड़ सकता है। अतः सब से सीधा तरीका यह होगा कि या तो इसे सारे भारत पर लागू किया जाये या इस में एक ऐसा उपबन्ध रखा जाये जिसके अन्तर्गत इसे कुछ राज्यों में लागू किया जाये और कुछ में न किया जाये। यदि सारे देश का हित इसमें हो कि यह केवल कुछ विशिष्ट राज्यों में लागू हो, तो ऐसा ही करना चाहिये। एक और दृष्टिकोण से इस संशोधन को स्वीकार करने या न करने से कोई अन्तर नहीं होता। यदि हम सब इस तरह काम करें कि इस शस्त्र की आवश्यकता ही न पड़े, तो इस बात का कोई महत्व ही नहीं रहता कि यह अधिनियम कुछ मासों के लिये सारे भारत में लागू रहता है या केवल इसके कुछ भागों में।

एक और तर्क भी मुझे ठीक जान पड़ता है। यदि इसे आज एक राज्य में लागू किया जाता है, तो दूसरे राज्य में ग़लतफहमी पैदा होने की सम्भावना है। इसे विशेषतया आसाम में क्यों लागू किया जाये और शेष भारत में क्यों न किया जाये? अतः मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान समय के लिये इसे सारे भारत में लागू किया जाये।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व): मुझे आश्चर्य है कि डा० मुकर्जी अब भी माननीय गृह मन्त्री के आश्वासन से सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका सुझाव यह था कि यदि कोई राज्य सरकार यह अनुभव करे, कि इसको लागू करना आवश्यक है, तो केन्द्रीय सरकार को एक अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर देना चाहिये। किन्तु जैसा कि माननीय गृह मन्त्री ने कहा है तथ्य यह है कि प्रत्येक राज्य सरकार ने इसकी मांग की है। ये देखते हुए कि प्रत्येक राज्य सरकार निवारक निरोध अधिनियम को लागू करना चाहती है इस संशोधन को स्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के संशोधन तो शुरू से ही, जब से यह विधेयक पहली बार सदन के सामने आया है, प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, और प्रत्येक अवसर पर सदन ने यह फैसला किया है कि इसके उपबन्ध सारे भारत में लागू होने चाहियें। फिर इस के स्वीकार करने से वह एकरूपता, जिसे प्राप्त करना वर्तमान विधेयक का मुख्य उद्देश्य है नहीं लाई जा सकेगी। सरदार हुक्म सिंह ने कहा कि इसे सारे भारत में न लागू करने से देश पर अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। मैं यह नहीं समझ सकता कि केवल यह कह देने से कि यह अधिनियम कुछ मासों या सप्ताहों के लिये किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू नहीं होगा, क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होगा। मेरे विचार में इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि डा० मुकर्जी का प्रयोजन न केवल वर्तमान खंड को रहने देने से अपितु उनके अत्यन्त उदार संशोधन से भी सिद्ध हो जाता है। अतः मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन अस्वीकार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में अब काफी चर्चा हो चुकी है। और भी बहुत से संशोधन हैं जिन पर माननीय सदस्य सम्भवतः अधिक ध्यान देना चाहेंगे मुख्य अधिनियम की धारा १ के दो भाग हैं। पहला भाग प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बारे में है और दूसरा कालावधि के बारे में। विचाराधीन संशोधन पहली चीज़ के बारे में है। इसे निपटाने के बाद हम कालावधि का प्रश्न ले सकते हैं और इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर विचार कर सकते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस विधेयक को देश के कुछ भागों तक सीमित रखने के बारे में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस अधिनियम के अन्तर्गत दो या तीन प्रकार के विषय आते हैं। पहला वैदेशिक कार्य और विदेशों के साथ सम्बन्धों के बारे में है। यह भारत की सुरक्षा और रक्षा के अधीन आता है। दूसरा विधान तथा सुव्यवस्था के बारे में है और तीसरा सारभूत प्रदायों के संधारण के बारे में है।

देश की सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के विषय हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध सारे राष्ट्र से है। अतः मेरा सुझाव है कि जहां तक इन विषयों का सम्बन्ध है, यह अधिनियम सारे देश में लागू होना चाहिए। किन्तु विधान और सुव्यवस्था को बनाये रखना और सारभूत प्रदायों का संधारण ये तो राज्यों के विषय हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य इस अवस्था पर इन विषयों की चर्चा नहीं कर सकते। वे इन प्रश्नों को उस समय उठायें जब विधेयक के खंड ३ या ४ पर या मूल अधिनियम की धारा ३ पर चर्चा आरम्भ हो। इस समय प्रश्न केवल यह है कि क्या इस अधिनियम को सारे भारत में लागू किया जाये या केवल भारत के किसी भाग में। माननीय सदस्य एक दूसरा विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पर वे बोल तो सकते हैं, किन्तु इस समय नहीं। वे उचित समय पर जबकि इसके सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किये जायें, इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी: माननीय गृह मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री दोनों ने बार बार कहा है कि देश के हालात में निश्चित रूप से सुधार हो गया है। सरकारी प्रतिनिधियों के भाषणों से यह धारणा पैदा होती है कि देश की स्थिति स्थिर है और वह अपराध या खतरा जिस को दूर करने के लिये निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया है, हाल के वर्षों और मासों में बहुत कम हो गया है। इसके साथ ही माननीय गृह मन्त्री ने हमें बतलाया है कि राज्य सरकारों ने एकमत होकर निवारक निरोध अधिनियम को जारी रखने की सिफारिश की है। मैं नहीं समझ सकता कि गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री के वक्तव्यों के बावजूद हमें राज्य सरकारों से समय समय पर यह रिपोर्ट कैसे प्राप्त हो सकती है कि वे निवारक निरोध अधिनियम को बढ़ाना चाहते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि इस सम्बन्ध में कई राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से भी अधिक उत्सुक हैं। अतः मैं यह चाहता हूं कि अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार के हाथ में हो। यदि हम इस अधिनियम को रोक नहीं सकते, तो कम से कम इसको लागू करने का काम केन्द्रीय सरकार पर, जिस पर राज्य सरकारों की अपेक्षा हमें कुछ अधिक भरोसा हो जाता है छोड़ देना चाहिये। इस बात का निर्णय करना कि यह अधिनियम भारत के एक क्षेत्र में या एक से अधिक क्षेत्रों में या सारे भारत संघ में लागू किया जाये, केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये। इसीलिए मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य नारायण सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"अब प्रश्न पर मत लिया जाये।"

डा० एस० पी० मुखर्जी: श्रीमान् आपने मुझ से एक प्रश्न पूछा था, जिस का मैं उस समय उत्तर नहीं दे सका था, क्योंकि मैं ने वे अधिनियम नहीं देखे थे। प्रश्न यह था कि क्या इन अधिनियमों का सम्बन्ध समवर्ती सूची से है। श्रीमान्, इस प्रकार का एक अधिनियम वह है जो कि दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और विक्रय को

नियमित करता है। यह समवर्ती सूची संख्या १९ में है और यह राज्यों और केन्द्र दोनों पर लागू होता है। इस प्रवर्तन से कोई वैधानिक कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी हो, अब समापन प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न यह है कि:

"अब प्रश्न पर मत लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ १ में पंक्ति ६ से ८ तक के स्थान पर "निवारक निरोध अधिनियम १९५० की (इसके पश्चात् जिसका मुख्य अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) धारा १ की उपधारा (३) में" आदिष्ट कर दिया जाये:

"निवारक निरोध अधिनियम १९५० की (इसके पश्चात् जिसका मुख्य अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) धारा १ की उपधार (२) में और उपधारा (३) में 'the whole of India' ('सम्पूर्ण भारत') इन शब्दों के स्थान पर 'The whole or part of India as may be notified' 'सम्पूर्ण भारत या भारत का कोई अंश, जैसा भी अधिसूचित किया जाये') आदिष्ट कर दिया जायेगा।"

सदन में विभाजन हुआ: पक्ष में ५८; विपक्ष में २११।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ संशोधन और हैं जो कि अधिनियम की अवधि के बारे में हैं। मेरे विचार में इन्हें इकट्ठा लेना ही अधिक अच्छा होगा। श्री वी० जी० देशपाण्डे और श्री माधव रेड्डी अनुपस्थित हैं। श्री तुषार चटर्जी।

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति ९ में "३१ दिसम्बर १९५४" के स्थान पर "२ अक्तूबर, १९५२" आदिष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): श्रीमान्, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति ९ में "३१ दिसम्बर, १९५४" के स्थान पर "३१ अगस्त, १९५३" आदिष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री के० के० बसु: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति ९ में "३१ दिसम्बर १९५४" के स्थान पर "३० मई, १९५३" आदिष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति १९ में "३१ दिसम्बर १९५४" के स्थान पर "३० अप्रैल १९५३" आदिष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति ९ में, "३१ दिसम्बर, १९५४" के स्थान पर "२५ जनवरी १९५३" आदिष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रघवय्या: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति ९ में "३१ दिसम्बर १९५४" के स्थान पर "१ अप्रैल १९५३" आदिष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति ९ में "३१ दिसम्बर १९५४" के स्थान पर "१ अक्तूबर १९५३" आदिष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सब संशोधन प्रस्तुत हो चूके हैं। अब चर्चा पुनः जारी होगी।

श्री तुषार चटर्जी: मेरी राय में यह अधिनियम न केवल अनुचित है बल्कि अनावश्यक भी है। इसके अन्तर्गत शक्ति का दुरुपयोग किया जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

गृह मन्त्री ने ऐसे कोई तथ्य उपस्थित नहीं किये जिनके आधार पर इसको बढ़ाना न्यायोचित ठहराया जा सके। ऐसा करने से प्रजातन्त्र के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा और बेगुनाह व्यक्तियों को बिना कारण तंग किया जायेगा। इसका उद्देश्य केवल विरोधी पक्ष का दमन करना है। अतः यदि इस हानिकारक अधिनियम को बढ़ाना भी है, तो इसे केवल एक दिन के लिये अर्थात् २ अक्तूबर १९५२ तक बढ़ाया जाये।

श्री एम० एस० गूरुपादस्वामी: सदन को विदित है कि जब निवारक निरोध अधिनियम पहली बार संसद् में प्रस्तावित और पारित किया गया था, उस समय देश एक गम्भीर संकट में से गुज़र रहा था। किन्तु अब वह संकटकाल खत्म हो चुका है और देश में पहले से अधिक शान्ति है। सरकार भी सुरक्षित और सुव्यवस्थित है। यह पूर्वानुमान लगाना कि अगले एक या दो वर्षों में देश में शान्ति भंग होगी ठीक नहीं है। अतः मैं अनुभव करता हूं कि इस अधिनियम के लिए कोई कालावधि निश्चित करनी चाहिये और यह कालावधि कम से कम होनी चाहिये। मैंने अपने संशोधन में एक वर्ष की कलावधि रखी है। और यह एक युक्तियुक्त अवधि है।

गृह मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि इस पर चर्चा करने के लिए एक संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है, जिस पर सदस्य अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। परन्तु मेरी राय में हमें संकल्प के द्वारा चर्चा करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल सकेगा और इस पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले का जिसका सम्बन्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रता स है, पुनर्विलोकन करने के लिये सदन को समय समय पर और पर्याप्त अवसर देना चाहिए। लम्बी अवधि निश्चित करने से देश में खराब मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा होगी और यह धारणा प्रचलित होगी कि देश की स्थिति गम्भीर है और इसमें शान्ति नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि विधेयक में जो कालावधि निश्चित की गई ह वह अनावश्यक तथा लम्बी है और इसे घटा कर एक वर्ष कर देना चाहिये।

श्री एन० बी० चौधरी: मेरे संशोधन में कहा गया है कि अधिनियम की अवधि ३१ दिसम्बर १९५४ की बजाय, २५ जनवरी १९५३ तक बढ़ाई जाये। २६ जनवरी १९५० को भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था। २५ जनवरी १९५३ को गणराज्य को बने तीन साल हो जायेंगे और २६ जनवरी, १९५३ को कांग्रेसी लोगों को यह नहीं कहना पड़ेगा कि यह अवांच्छनीय अधिनियम अभी विद्यमान है। इस प्रयोजन के लिये मेरा सुझाव यह है कि इसे २५ जनवरी, १९५३ से आगे न बढ़ाया जाये।

दूसरी कठिनाई यह है कि जब तक निवारक निरोध अधिनियम रहेगा, विरोधी दलों के लिये सफलतापूर्वक काम करना बहुत कठिन होगा। उनके लिये अपनी साधारण

राजनैतिक कार्यवाही जारी रखना भी असम्भव होगा। यह इससे स्पष्ट है कि जब हम साम्यवाद के आदर्शों का प्रचार करते हैं, तो हमारे विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, स्थान स्थान पर जाना चाहता हूं और सभायें आयोजित करना चाहता हूं। खाद्य की कमी के विरुद्ध या अत्यधिक करारोपण के विरुद्ध हम विरोध प्रकट करना चाहते हैं, जलूस निकालना चाहते हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं। किन्तु जब भी हम ऐसा करेंगे, निवारक निरोध अधिनियम हमारे स्वागत के लिये तैयार होगा। अतः मैं चाहता हूं कि इसे आज से ६ महीनों से अधिक तक के लिये न बढ़ाया जाये। २५ जनवरी १९५३ आज से लगभग छः मास आगे ही है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद सारे मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): मैं अपने माननीय मित्र श्री तुषार चटर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या १२ का समर्थन करता हूं। देश म अब जो स्थिति है वह इजाज़त नहीं देती कि इस प्रकार के असभ्य और निर्दयी अधिनियम को २७ मास की लम्बी अवधि तक के लिये जारी रखा जाये। अमेरिका में जहां इतने हिंसात्मक अपराध—हत्याएं, डाके आदि होते हैं इस प्रकार का कोई निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। भूपत सिंह का उदाहरण देकर और यह कह कर कि राजस्थान में अपराध हो रहे हैं भारत में इस अधिनियम को २७ मास और बढ़ा देना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। मैं नहीं समझ सकता कि कांग्रेस जो कुछ समय पूर्व इस प्रकार के काले अधिनियमों का घोर विरोध करती थी अब इसे पास कराने पर क्यों आग्रह कर रही है। मेरा निवेदन है कि देश के हितों में इस अधिनियम को एक दिन के लिये भी नहीं जारी रखना चाहिए और जितनी जल्दी इसका अन्त किया जाय, देश के लिये उतना ही अच्छा है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तूर): २४ दिसम्बर, १९५१ तक मध्य भारत में बहुत से व्यक्ति निरुद्ध रहे हैं। हो सकता है कि इस समय कोई न हो, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इस अधिनियम को वहां लागू नहीं किया गया। उन सब व्यक्तियों को, जिन्होंने निर्वाचनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध खड़ा होने का साहस किया था, इस अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था। यदि किन्हीं स्थानों पर स्थिति बहुत असन्तोषजनक भी हो, फिर भी इस प्रकार के अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह तो कहा नहीं जा सकता कि २७ मासों में स्थिति कैसी रहेगी। यदि आप लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे आप पर कैसे विश्वास करेंगे। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम को और २७ मासों तक जारी रखना आवश्यक नहीं है।

सौराष्ट्र म भूपत ने जो अपराध किये हैं और जो अराजकता फैलाई है, उसका बहुत उल्लेख किया गया है। किन्तु एक डाकू का मुकाबला करने के लिये, यह सुझाव देना कि इस अधिनियम को लागू करना चाहिए न्यायोचित नहीं है। राजस्थान में भी यही हालत है। विधान सभा के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था, परन्तु बन्दी प्रत्यक्षीकरण अभ्यावेदन करने पर उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा उन्हें रिहा कर दिया गया था। मैं साम्यवादी दल की वकालत भी नहीं करता। यदि उस के कुछ सदस्य छिप कर अपराध करते हैं, तो आप अवश्य उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। परन्तु यह अधिनियम तो एक अप्रीतिकर कानून है और अत्यन्त अन्यायपूर्ण है, जब कि हमारा दावा यह है कि हम देश के बुरे से बुरे अपराधियों के साथ भी न्याय करेंगे।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

माननीय गृह मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि एक वर्ष के बाद इस मामले पर विचार करने के लिए संसद् में एक संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि यह स्वयं अधिनियम में ही क्यों न लिख दिया जाये और संकल्प प्रस्तावित करना गृह मन्त्री पर क्यों छोड़ दिया जाये ? इस प्रकार के संकल्प की आवश्यकता ही क्या है ? क्या हम कानून में ही यह उपबन्ध रख रहे हैं कि सदन एक संकल्प पारित करके इसे बढ़ा सकता है? यदि इस प्रकार का उपबन्ध हो, तो ठीक है, यदि न हो तो हम संकल्प कैसे पारित कर सकते हैं । हम किस आधार पर यह कह सकते हैं कि इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा ? मेरा कहना यह है कि अधिनियम का एक उपबन्ध यह होना चाहिए कि ३१ अक्तूबर १९५३ की तिथि तक एक संकल्प पारित करने से इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करने से हम से बहुत से लोग संतुष्ट हो जायेंगे।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : मैं जब कांग्रेस दल को निवारक निरोध अधिनियम को पारित कराने पर तुले हुए देखता हूं तो मुझे उन लोगों का ख्याल आता है जो कि स्वस्थ होते हुए भी गर्मी के मौसम में गरम ऊनी कपड़े पहने रखते हैं, अपने आपको कमरों में बन्द रखते हैं और जुकाम हो जाने के डर से नहाने से भी घबराते हैं। कांग्रेस दल की दशा बिल्कुल ऐसी है । यदि आप एक ऐसे व्यक्ति का इलाज करना चाहते हैं, जो नदी में नहाने से घबराता है, तो किसी दिन उसे बलपूर्वक नदी में धकेलना पड़ेगा। तभी उसका भय दूर होगा। कांग्रेस दल को भी इसी तरह धकेलना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा "यह अनावश्यक है। आप भयभीत हो गये हैं। सारा देश आपका समर्थन करता है। आपको निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता नहीं है "।

सरदार पटेल ने इसके लिये एक वर्ष की अवधि निश्चित की थी । यह अवधि दूसरी बार एक वर्ष बढ़ाई गई थी और अब इसे २७ मासों के लिये बढ़ाया जा रहा है। इस तरह करने से तो वे इस अधिनियम के बिना कभी भी काम नहीं चला सकेंगे और वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जायेंगे। इसी लिए तो मैं कहता हूं कि एक अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। मेरा विचार था कि कांग्रेस दल इस बार ६ मासों की कालावधि रखेगी। यदि आपको अपने अनावश्यक कपड़े उतार फेंकने हैं और इसका अन्त करना है, तो ६ मास या सम्भवतः तीन मास ले सकते हैं। इसके बाद आप इसे त्याग दें। यह अधिनियम १ अक्तूबर को खत्म होता है। ६ मासों के बाद १ अप्रैल की तिथि होगी। और यह एक बहुत शुभ दिन होगा। यदि आप आज ही कह दें कि "यह अधिनियम १ अप्रैल तक जारी रहेगा", तो सब संतुष्ट हो जायेंगे, यदि मूल अधिनियम की अवधि केवल ६ मास बढ़ायी जाये, तो भारत और विश्व के लोग यह समझेंगे कि सरकार का इरादा इसे हटाने का है, यदि दो वर्ष के लिये बढ़ाई जाये, तो सब समझेंगे कि सरकार का इरादा इसे स्थायी बनाने का है।

सरदार हुक्म सिंह : मेरे संशोधन में अधिनियम को १ अक्तूबर, १९५३ तक बढ़ाने के लिये कहा गया है। पिछले दो अवसरों पर इसे एक एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया था परन्तु इस बार मैं देखता हूं कि सरकार ने अपना रवैया बदल लिया है और वह इसे अब २७ मासों के लिये बढ़ाना चाहती है। अब सरकार यह अनुभव नहीं करती, जैसा कि इसने पिछले दो अवसरों पर किया था, कि यह एक आपातिक और असाधारण अधिनियम है।

कहा गया है कि एक वर्ष गुजरने के बाद, इसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ाने के लिये एक संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा। यदि केवल संकल्प ही पास किया जाना है, तो इसका अर्थ यह होगा कि मूल अधिनियम में कोई संशोधन किये बिना ही इसे एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जायेगा, किन्तु इससे पहले हम हर अवसर पर जब भी यह संसद् के सामने आया है, हम उस समय की स्थिति के अनुसार इस विधेयक के उपबन्धों को उदार बनाते रहे हैं। परन्तु यदि संकल्प अगले वर्ष पास कर दिया गया, तो हमें अधिनियम का पुनरीक्षण करने या इसे संशोधित करने का अवसर नहीं मिलेगा। या तो संकल्प पारित हो जायेगा या अस्वीकार हो जायेगा किन्तु अधिनियमों के उपबन्धों को उदार नहीं बनाया जा सकेगा।

शुरू से आज तक निवारक निरोध अधिनियम में जो संशोधन और सुधार किये गये हैं उनके लिये सरकार अवश्य बधाई की पात्र है। एक बड़ा अच्छा संशोधन जो हमने किया है यह है कि जब तक नये कारण न दिये जायें जो कि फिर से नज़रबन्द करने का आधार बन सकें, पुनः नज़रबन्द करने का आदेश नहीं जारी किया जा सकेगा।

हम इस संशोधन के लिये गृह मन्त्री को धन्यवाद देते हैं, परन्तु मैं इस बात पर उनसे सहमत नहीं हूं जब वे यह कहते हैं कि अब एक ऐसी अवस्था पहुंच चुकी है जबकि इस विधेयक को एक आदर्श विधेयक कहा जा सकता है। अब भी कई ऐसे उपबन्ध हैं जिन्हें उदार बनाया जा सकता है और मेरे विचार में कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें गृह मन्त्री को स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि इसे २७ महीनों तक बढ़ा दिया गया तो, इस पर पुनर्विचार का जो अवसर हमें एक साल बाद मिलेगा वह हम से छिन जायेगा और यह कोई शुभ बात नहीं होगी। अतः जहां तक संसद् की प्रभुता का सम्बन्ध है, जहां तक संसद् द्वारा इस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता का सम्बन्ध है और जहां तक भूतपूर्व गृह मन्त्रियों के इरादों का सम्बन्ध है, इसे एक वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं बढ़ाना चाहिये ताकि जितनी जल्दी हो सके हम साधारण स्थिति पर आ जायें।

डा० एस० पी० मुखर्जी: यदि गृह मन्त्री अब यह स्पष्ट कर दें कि उनका क्या इरादा है, तो बहुत अच्छा होगा। आज प्रातः उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उनका सुझाव यह है कि पहले वर्ष के अन्त में एक संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और इस मामले पर विचार करने का पूरा अवसर दिया जायेगा। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या यह बात विधेयक में लिखी जायेगी या केवल सदन में दिये गये एक मौखिक आश्वासन के रूप में ही रहेगी।

श्री रघवय्या : इस विधेयक पर पिछले चन्द दिनों में सविस्तर चर्चा हो चुकी है। मैं इसके सिद्धान्तों पर या अपने संशोधन पर अधिक नहीं बोलना चाहता। मेरे लिए इस समय इतना कहना काफी होगा कि दूसरे पक्ष के सदस्यों ने जो भाषण किये हैं, उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि देश में ऐसी अशान्तिमय और खतरनाक स्थिति है जिसके कारण इस निन्दनीय अधिनियम को २७ मासों तक के लिये बढ़ाना आवश्यक है। मैंने यह संशोधन प्रस्तावित किया है कि सदन इस विधेयक को ६ मास तक की युक्तियुक्त अवधि के लिये बढ़ा दे, ताकि हमारे देश के सब लोग—किसान, मज़दूर, उद्योगपति आदि इस बात की जांच कर सकें कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया गया है। ६ मास के समय के बाद जो रायें प्राप्त हों, सबको इकट्ठा कर लिया जायेगा। माननीय मन्त्री और सदन भी स्थिति पर अच्छी

[श्री रघवय्या]

तरह पुनर्विचार कर सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो वे इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्रीमान्, मैं एक बात यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसी परिस्थितियां हैं भी जिनके कारण देश में अशान्ति पैदा होती है, तो वे केवल इसलिये हैं क्योंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने ऐसी योजनाएं आरम्भ की हैं जो कि अबुद्धिमत्तापूर्ण और पागलपन की योजनाएं हैं और जिनका उद्देश्य हमारे देश के भोले भाले लोगों में झूठी और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना होता है। आपकी इस प्रकार की योजनाओं से ही देश के किसानों और मज़दूरों को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। यदि ये लोग भूखों का जलूस निकालते हैं तो आप निवारक निरोध अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर देते हैं और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। आपको डर है कि जो लोग इनकी शिकायतों को लेकर आपके सामने अभ्यावेदन करने आयेंगे वे लोकप्रिय हो जायेंगे और उन्हें जनता का सहयोग प्राप्त होगा। उनको रोकने के लिए आपने यह अधिनियम सदन के सामने उपस्थित किया है।

मेरा निवेदन है कि इस अधिनियम को २७ मासों की लम्बी अवधि के लिये बढ़ा देना अबुद्धिमत्तापूर्ण अन्याय और वस्तुतः अमानुषिक है। आखिर हम कोई देवता तो नहीं हैं। देश में ३५ करोड़ लोग हैं। आप उन्हें यह देखने का अवसर दीजिये कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाता है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। जिला किस्टना की २०० स्त्रियों को केवल इस पाप के लिए कि .....

उपाध्यक्ष महोदय: इस घटना की ओर अनेक बार निदश किया गया। मैं इसे दोहराने की आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री रघवय्या: मैं जानता हूं कि यदि यह रिकार्ड में आ जाये तो सरकार अत्यधिक लज्जित होगी और सारी दुनिया इसको धिक्कारेगी। आप इसी लिए मुझे इसका उल्लेख करने की आज्ञा नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। अब डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी।

डा० एस० पी० मुखर्जी: श्रीमान् विधेयक के इस उपबन्ध पर कि यह अधिनियम २७ मासों तक जारी रहेगा, बहुत गम्भीर आपत्ति की जा सकती है। मेरा यह ख्याल था कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव करके विरोधी पक्ष की बात मान लेगी। परन्तु प्रतीत होता है कि सरकार को अपने बहुमत पर पूरा विश्वास है और विरोधी पक्ष एक अच्छी बात पर चाहे कितना ही जोर क्यों न दे बहुमत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गृह मन्त्री ने आज अपने भाषण में क्या कहा है? उन्हों ने कहा है कि सदन को एक वर्ष के बाद इस मामले पर विचार करने के लिए कहना समय और पैसे को नष्ट करना होगा। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या भारत संसद् को इस बात पर विचार करने का अवसर देना कि इस प्रकार का असाधारण अधिनियम गत वर्ष किस तरह लागू किया गया है, वास्तव में समय नष्ट करना होगा? क्या ऐसा करना आवश्यक नहीं है? इंग्लैंड या अन्य देशों में जहां इस प्रकार के अधिनियम बनाये गये थे, वे पूर्व निश्चय से एक आध वर्ष के लिये लागू किये गये थे और न केवल सदस्यों अपितु सारे देश को इस के प्रवर्त्तन पर राय देने का अवसर दिया गया था।

पिछले चन्द दिनों में जो चर्चा हुई है, उसका क्या फल मिलता है? आरोप लगाये

गये हैं कि इस अधिनियम के उपबन्ध का घोर दुरुपयोग किया गया है। गृह मन्त्री ने कहा है कि उन्हें इस प्रकार के दुरुपयोग का कोई ज्ञान नहीं है। परन्तु प्रधान मन्त्री ने यह बात मान ली थी और उनका रवैया यह था कि भविष्य में इस दुरुपयोग की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जा सकती है। मान लीजिये कि, जैसा गृह मन्त्री ने कहा है, आप इस मामले पर विचार करने के लिये एक संकल्प प्रस्तुत करते हैं। माननीय मन्त्री की राय में इससे समय बचेगा, किन्तु सदन या सरकार को संशोधन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं मिलेगा।

हमें इस मामले को क्रियात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिये। यह एक आपातिक अधिनियम हैं। गृह मन्त्री को और कांग्रेस दल को यह बात माननी चाहिए। और जो इस ओर बैठे हैं यह अनुभव करते हैं कि यह कोई आपातकाल नहीं है। परन्तु अब जबकि सदन ने इसे स्वीकार कर लिया है, प्रश्न यह है कि कष्ट को कैसे कम किया जाये और लोगों को कैसे अनुभव कराया जाये कि हमारी सरकार और हमारी संसद् शीघ्रातिशीघ्र देश में पुनः सामान्य स्थिति लाना चाहती है। अतः आप एक वर्ष की अवधि निश्चित करें और इसकी समाप्ति के बाद आप सदन में एक संशोधक विधेयक उपस्थित करें। यह एक बहुत छोटा विधेयक होगा, जिसके द्वारा एक समाप्त होने वाले अधिनियम को जारी रखने की मांग की जायेगी। इस के द्वारा सरकार पिछले साल के अनुभव सदन के सामने रख सकेगी। और हम देख सकेंगे कि एक वर्ष में यह अधिनियम कैसे लागू किया गया है। हो सकता है कि स्वयं गृह मन्त्री भी हमसे सहमत हो जायें। कुछ भी ही इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हां, यदि सरकार यह चाहती है कि यह भारत की एक स्थायी विधि बन जाये, तो दूसरी बात है।

हमें यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि यह एक असाधारण अधिनियम है, एक अस्थायी अधिनियम है और जितनी जल्दी इसे हटा दिया जाये, सरकार और लोगों के लिये उतना ही अच्छा होगा। इस बात को याद रखने के लिये मैं समझता हूं कि सरकार अपने विशेषाधिकार सीमित किये बिना सरकार आसानी से इस संशोधन को स्वीकार कर सकती है। यदि आप चाहते हैं कि अगली चर्चा जाड़ों में हो तो आप ३१ दिसम्बर १९५३ की तिथि निश्चित कर सकते हैं। किन्तु आप इसे ३१ दिसम्बर, १९५३ से आगे न बढ़ायें, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई कारण नहीं दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय गृह मन्त्री अभी उत्तर देना चाहते हैं?

डा० एस० पी० मुखर्जी: वे रात को इस पर विचार कर के कल उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कल 'रक्षा-बन्धन' है। सदन की बैठक ८–१५ पर समवेत होने की बजाय १०–१५ पर समवेत होगी। अतः अब सदन की बैठक कल १०–१५ प्रातः तक के लिये स्थगित होगी।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार ५ अगस्त, १९५२ के सवा दस बजे तक के लिए स्थगित हो गई।